हि इ लि

समृद्धि हेतु सुरक्षा

65वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

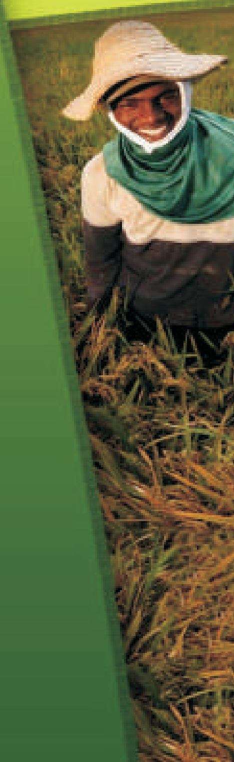

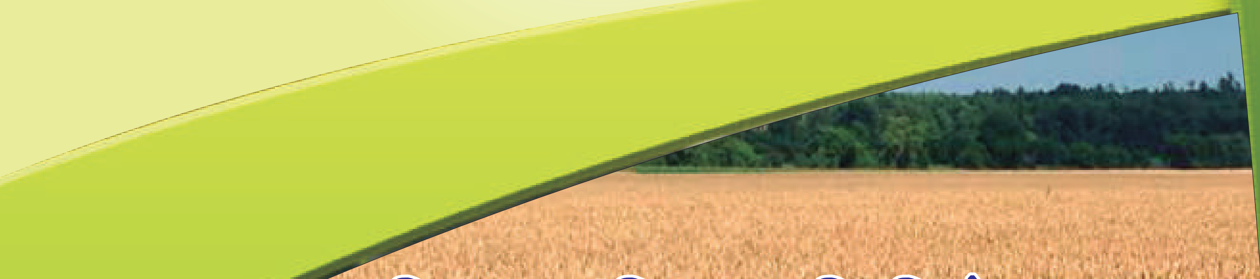

हिल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड)

(भारत सरकार का उद्यम)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मेक इन इंडिया

कीर्ति पुरस्कार ''राजभाषा शील्ड''

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत राजभाषा हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कर–कमलों से प्रतिष्ठित राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिल (इंडिया) लिमिटेड।

ग्रीनटेक सी.एस.आर. अवार्ड

किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिनांक 26.02.2019 को गोवा में श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिल (इंडिया) लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्रीनटेक सी.एस.आर. 2018 अवार्ड से सम्मानित किया गया।

विविधता एवं समावेश के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता अवार्ड

एसोचैम द्वारा आयोजित समारोह में माननीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री श्री रतन लाल कटारिया से विविधता एवं समावेश के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार प्राप्त किया।

निदेशक मंडल का संघटन

श्री एस.पी. मोहन्ती
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
तथा निदेशक (विपणन)

श्री समीर कुमार बिस्वास
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री डी.के. मदान
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री अंजन बनर्जी
निदेशक (वित्त)

श्री भरत विदुरभाई भगत
स्वतंत्र निदेशक
14.06.2019 तक

डॉ. सी.वी. जयामनी
स्वतंत्र निदेशक
14.06.2019 तक

श्री ओमप्रकाश मित्तल
स्वतंत्र निदेशक
14.06.2019 तक

हि इ लि
समृद्धि हेतु सुरक्षा

वरिष्ठ प्रबंधन

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री डी. प्रवीन (अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी)

निगमित कार्यपालक

श्री पी.सी. सिंह, महाप्रबन्धक (मा.सं. एवं प्र.)
श्री एस. चट्टोपाध्याय, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
श्री अनिल यादव, उप महाप्रबन्धक (विपणन – बीज एवं संबद्ध उत्पाद)
श्री राजेश दास, उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

यूनिट प्रमुख

श्री पी.डी. संकपाल, यूनिट प्रमुख, रसायनी यूनिट
श्री एम.एस अनिल, यूनिट प्रमुख, उद्योगमण्डल यूनिट
श्री ए.के. श्रीवास्तव, यूनिट प्रमुख, बठिंडा यूनिट

कंपनी सचिव

श्री एस. चट्टोपाध्याय

लेखा परीक्षक

मैसर्ज गुप्ता रूस्तागी एण्ड अग्रवाल, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली
मैसर्ज जे. काला एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल, मुम्बई
मैसर्ज अब्राहम थॉमस एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, कोच्चि
मैसर्ज पी. बंधोपाध्याय एण्ड दत्त, सनदी लेखापाल, कोलकाता।

बैंकर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निगमित/पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7, लोदी रोड़,
नई दिल्ली–110003

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ सं
अध्यक्षीय भाषण	1
निदेशकों की रिपोर्ट	7
कारपोरेट संचालन रिपोर्ट	17
प्रबन्धकीय विचार–विमर्श एवं विश्लेषण	22
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	29
स्वतन्त्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	31
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबन्धन के जवाब	43
वित्तीय विवरण	47
– वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र	48
– वित्तीय वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा	49
– नकद प्रवाह विवरण	50
– उपरोक्त विवरणों के संलग्न व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण अथवा फॉर्मिंग पार्ट	52

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से कंपनी की 65वीं वार्षिक आम बैठक में गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी आपकी कंपनी ने निरंतर वृद्धि की है।

अर्थव्यवस्था का अवलोकन

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था के वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में 3 प्रतिशत की स्थिर दर से बढ़ने का अनुमान है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, पूर्व और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में वृद्धि की मजबूत स्थिति है। हालांकि, चिंताए और जोखिम हैं जो संभवतः आर्थिक कार्यकलापों को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन जोखिमों में बढ़ते व्यापार विवाद, वैश्विक वित्तीय स्थिति का लगातार कड़ा होना और जलवायु जोखिमों का बढ़ना शामिल है। इसलिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने तथा स्थिर और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की नींव सुरक्षित करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा तत्काल और ठोस नीतिगत कार्रवाई अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान था और सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अपने आर्थिक सर्वेक्षण में निवेश की वृद्धि में पूर्वानुमानित तेजी और खपत में वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। विनिर्माण और कृषि कार्यकलापों में सुधार के बल पर वर्ष 2018–19 के दौरान उद्योग में तेजी आई है।

मुख्य निष्पादन

कंपनी ने परिचालनों से गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के 439.06 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 490. 19 करोड़ रुपए का सकल राजस्व प्राप्त किया। कम्पनी ने विगत वर्ष के 26.47 करोड़ रुपए की तुलना में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋण मुक्ति (ईबीआईटीडीए) के प्रावधान से पूर्व इस वर्ष

12% की वृद्धि दर्ज करते हुए 29.15 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। कंपनी का निवल मूल्य दिनांक 31.3.2018 के 100.22 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31.3.2019 को 103.85 करोड़ रुपए हो गया है।

हमारे व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए, मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष के दौरान हमारा बीज व्यापार फल–फूल रहा है और इसके टर्नओवर में 24% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय बीज उद्योग विश्व में सबसे परिपक्व और जीवंत उद्योगों में से एक है जिसने वर्ष 2011–2018 के दौरान 15.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर) दर्शाते हुए वर्ष 2018 में लगभग 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबार के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। वृद्धि–उत्प्रेरक बलों, जैसे कि आय के स्तरों में वृद्धि, कृषि का व्यावसायीकरण, पेटेंट संरक्षण प्रणाली और पौधों की विभिन्न किस्मों पर बौद्धिक अधिकार आदि शामिल है जैसे विभिन्न कारकों के फलस्वरूप वर्ष 2019–2024 के दौरान भारतीय बीज बाजार में 13.6% की सी.ए.जी.आर से वृद्धि की संभावना है जो वर्ष 2024 तक 9.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य तक पहुंच जाएगा।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा भी भरसक प्रयासों से पहल की जा रही है, जिसमें देशभर में हमारे डीलरों के नेटवर्क को मजबूत बनाकर डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से हमारी बिक्री में वृद्धि जैसे प्रयास शामिल है ताकि बीज की बिक्री के लिए केवल सरकारी एजेंसियों पर निर्भरता कम हो। हमारी कंपनी ने पहली बार सुंदरबन डेल्टा प्राधिकरण को 730 क्विंटल जिमीकंद (एलीफैंट फुट याम राइजोम) की आपूर्ति भी की है।

जहां तक उर्वरक क्षेत्र की बात है आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान उर्वरक उद्योग में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद 131 करोड रुपए का कारोबार किया है जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना में टर्नओवर में 30% की वृद्धि हुई है।

कंपनी ने यूरिया, डी.ए.पी, एम.ओ.पी और एन.पी.के के अलावा कंपनी के बिजनेस नेटवर्क को सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) की आपूर्ति के लिए देश में अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरकों के प्रमुख सिंगल सुपर फास्फेट विनिर्माताओं के साथ विपणन टाई–अप किया है। आपकी कंपनी उर्वरक कारोबार हेतु विभिन्न राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाने हेतु सतत प्रयास कर रही है।

निर्यात

कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान 10.12 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जन स्वास्थ्य कीटनाशक डी.डी.टी तथा मैलाथियान तकनीकी तथा कृषि रसायनों का निर्यात किया है। अगले वर्ष में कंपनी इस क्षेत्र के अंतर्गत टर्नओवर में वृद्धि करने के लिए कृषि रसायनों के निर्यात पर भी जोर देने की योजना बना रही है।

मानव संसाधन प्रबंधन

कुशल और पेशेवर जनशक्ति आपकी कंपनी की ताकत रही है। कंपनी में पिछले वर्ष के दौरान 274 अधिकारियों और 621 गैर–कार्यकारी अधिकारियों को मिलाकर कुल 895 कर्मचारी थे, जिसकी तुलना में इस वर्ष दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 258 अधिकारियों और 516 गैर–कार्यकारी अधिकारियों को मिलाकर 774 कर्मचारी हैं। निदेशकों की रिपोर्ट में प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और विकास कार्यक्रमों सहित मानव संसाधन के संबंध में विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए कई कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। कर्मचारियों को कार्य में लगाने और विकसित करने तथा टीम और व्यक्तिगत क्षमता को उन्नत करने के लिए इन–हाउस बैठकों तथा प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान औद्योगिक शांति एवं सद्भावना बनी रही।

कॉरपोरेट संचालन अनुपालन दृष्टिकोण

आपकी कंपनी सच्चे शब्दों और भावना से सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट संचालन प्रथाओं का अनुपालन करती है। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी को डी.पी.ई द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस पर डी.पी.ई दिशा–निर्देशों के अनुपालन में 'उत्कृष्ट' रेटिंग के साथ सम्मानित किया गया है।

वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग ने निविदा दस्तावेजों को और अधिक पारदर्शी तथा प्रासंगिक बनाने के लिए सभी परिचालनों में निवारक सतर्कता की दिशा में प्रभाव क्षमता वाली तकनीक जो हिल में सुदृढ ई–गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगी, की ओर सक्रिय योगदान दिया है। ऑनलाइन खरीद को सुगम बनाने के लिए कार्यालय के सभी उपकरणों तथा सामान्य प्रयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जी.ई.एम) के माध्यम से की जा रही है।

प्रौद्योगिकी एवं मानकीकरण

कंपनी में ई–प्रापण, ई–भुगतान और ई–रसीद सुविधाएं बड़े पैमाने पर उपयोग में हैं, जिससे कारोबार प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता आई है। कारोबारी कार्यकलापों में तेजी लाने एवं त्वरित एवं दक्षतापूर्वक कार्यपद्धति के लिए कंपनी ने अपने सभी

कार्यात्मक क्षेत्रों में एकीकृत सैप सफलतापूर्वक लागू किया गया है। फाइलों पर दक्ष और पारदर्शी तरीके से समय पर कार्रवाई करने के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। आपकी कंपनी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी है। भर्ती/चयन, निविदा तथा अन्य आवश्यक घटनाक्रमों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी की वेबसाइट पर तुरंत डाल दी जाती हैं। कार्मिकों की मूल्यांकन रिपोर्ट और कार्यकारी अधिकारियों की छुट्टी प्रबंधन प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया है। कैश रहित लेन–देन को बढ़ावा दिया गया और प्रभावी सम्प्रेषण को स्थापित किया गया। कंपनी की सभी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना भी है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के लिए ''स्वच्छ भारत मिशन'' से सतत रूप से जुड़ी हुई है। कंपनी संगठन में सभी स्तरों पर अपने कारोबार में मितव्ययिता और सामाजिक रूप से संधारणीय प्रकार से और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम करने की वर्धित प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, जो समाज को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करते हैं। आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों का केंद्र समाज के वंचित और अल्प–सुविधा प्राप्त वर्गों को सहायता और लाभ प्रदान करना है। निगमित सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों का मुख्य फोकस स्वास्थ्य और स्वच्छता, बाल शिक्षा, महिला सशक्तीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना, कंपनी की यूनिटों आदि के नजदीकी गांव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना आदि है। उपरोक्त प्रयासों के अलावा, आपकी कंपनी नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण (अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण) और इन प्रशिक्षुओं को वजीफा प्रदान करके भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के अनुरूप कार्य कर रही है।

पुरस्कार एवं सम्मान

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने विभिन्न अभिज्ञान और पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जैसे देश के कृषि विकास के संबंध में सार्वजनिक धारणा को बदलने के लिए फिक्की इंडिया केम – 2018 पुरस्कार, देश के कृषि विकास के लिए स्कॉच– 2018 आर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार, एक सार्वजनिक उपक्रम द्वारा कृषि विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ सरकारी पहल के लिए एंथ्रोनिक द्वारा दिया जाने वाला इंडिया कॉन्कर्ड अवार्ड–2018 और कृषि विकास आदि के लिए ग्रीनटेक सीएसआर रजत पुरस्कार 2018 आदि।

मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हिल ने राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कर–कमलों से तृतीय पुरस्कार और राजभाषा शील्ड प्राप्त की है।

भावी दृष्टिकोण

जैसा कि मैंने पिछले वर्ष के अपने संबोधन में आपको सूचित किया था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आने वाले वर्षों के लिए पूर्वानुमानित लगभग 62 मिलियन लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक मच्छरदानी (एल. एल. आई. एन) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने रसायनी यूनिट (महाराष्ट्र) में लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक मच्छरदानी (एल. एल. आई. एन) का उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ (यूनिडो) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि विनिर्माण इकाई का सिविल निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है और वर्ष 2019 के अंत तक इकाई चालू हो जाएगी।

यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गत वर्ष बीज परीक्षण प्रयोगशाला का उदघाटन माननीय सचिव श्री एस. के. पटनायक द्वारा अनुसंधान और विकास केंद्र, गुरुग्राम में किया गया था जोकि अब प्रचालन में है। अंकुरण परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, शुद्धता परीक्षण और रोगजनक परीक्षण के लिए हमारे स्वयं के उत्पादन और आयोजक के उत्पादन में से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नमूने लिए जाते हैं, जिसके आधार पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता है। निकट भविष्य में, आपकी कंपनी इन–हाउस बीज परीक्षण के अलावा व्यावसायिक लाभ के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशाला परीक्षण का उन्नयन करेगी।

उपरोक्त के अलावा, ''बायो कीटनाशक ट्राइकोडर्मा विराइड'' और ''जैव कीटनाशक स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस '' का व्यावसायिक उत्पादन जल्द ही शुरू हो जाएगा क्योंकि इन जैव कीटनाशकों के लिए बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, हिल ने अपने पानी में घुलनशील उर्वरक एन.पी.के पर कीटनाशक की कोटिंग की अनुरूपता रखने वाले एक नए अणु को विकसित करने के लिए आई.पी.एफ.टी से संपर्क किया है। आई.पी.एफ.टी इस परियोजना पर काम करने के लिए सहमत हो गया है। इसके अलावा, हिल नये अणु के संश्लेषण, (डी.डी.टी के एस.आई–आईसोस्टर के संश्लेषण) जो डी.डी.टी का एक विकल्प है, को विकसित करने के लिए रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.सी.टी.) मुम्बई के साथ

काम कर रही है।

इसके अलावा, आईपीएफटी ने यूनिडो के वित्त पोषण से नीम आधारित उत्पादों जैसे कॉइल, क्रीम, टैबलेट्स आदि को विकसित किया है। हिल यूनिडो के वित्त पोषण से वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए आईपीएफटी और यूनिडो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

साथ ही, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 वर्ष के विजन के रूप में आपकी कंपनी ने भारत के सभी राज्यों में किसान समाधान केंद्र स्थापित करने के लिए पहल की है, जो किसानों को कृषि रसायन, बीज और उर्वरक जैसी सभी कृषि सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने तथा फसल समाधान और प्रबंधन, कृषि व्यवसाय के अवसर के सम्बन्ध में परामर्श सेवा, केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं आदि का लाभ उठाने के लिए जागरूकता और मार्गदर्शन, किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किसानों को औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

आगे बहुत अवसर हैं। अपने मिशन और अपने मूल्यों पर खरा उतरने तथा अपनी नई क्षमताओं के निर्माण में लगातार निवेश करने पर आपकी कंपनी निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

स्वीकृति

समाप्त करने से पूर्व, निदेशक मंडल की ओर से, मैं प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रसायन और पेट्रो– रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को, कम्पनी के कार्य सुचारू रुप से चलने में उनके निरंतर महत्वपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा, हमारी कंपनी को सतत समर्थन देने और विश्वास बनाए रखने के लिए मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बैंकरों, ग्राहकों, विक्रेताओं, किसानों का धन्यवाद देना चाहूंगा।

अंत में, मैं अपने निदेशकों और कर्मचारियों को उनके निरंतर समर्पण, कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिसके फलस्वरूप कंपनी ने गत वर्ष से बेहतर प्रदर्शन किया है।

धन्यवाद

सादर

हस्ता. /–
एस.पी. मोहन्ती
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन. : 05336787

दिनांकः 30.09.2019
स्थानः दिल्ली

कार्यक्रम एवं पुरस्कार

स्वतत्रंता दिवस के अवसर पर रसायनी यूनिट में ध्वजारोहण करते हुए श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

हिल (इंडिया) लिमिटेड की गृह पत्रिका के लिए नराकास (उपक्रम–2), दिल्ली से शील्ड प्राप्त करते हिल अधिकारीगण।

स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के दौरान श्री एस.पी. मोहन्ती अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय हिल कार्मिकों को संबोधित करते हुए।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

आपके निदेशक मंडल 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों सहित कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर 65वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. वित्तीय निष्पादनः

कंपनी ने प्रचालन से प्राप्त 490.20 करोड़ रूपये (गत वर्ष 439.06 करोड़ रुपये) का सकल राजस्व तथा 478.24 करोड़ रुपये (गत वर्ष 432.66 करोड़ रुपये) का सकल टर्नओवर प्राप्त किया है। प्रचालन से 450.75 करोड़ (गत वर्ष 404.59. करोड़ रुपये) का निवल राजस्व प्राप्त करते हुए 11% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर प्रदान करने से पूर्व 12% की वृद्धि के साथ 29.15 करोड़ (गत वर्ष 26.47 करोड़ रुपये) का सकल लाभ दर्ज किया है। मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर प्रदान करने के पश्चात् वर्ष के लिए निवल लाभ 3.62 करोड़ (गत वर्ष 3.41 करोड़ रुपये) है।

वर्ष 2018–19 और 2017–18, 2016–17 के लिए वित्तीय निष्पादनों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(रुपये करोड में)

विवरण	2018-19	2017-18
बिक्री (सकल)	478.24	432.66
घटाइएः सांविधिक अधिभार (लेवी)	39.44	34.47
निवल बिक्री	438.79	398.19
अन्य परिचालन राजस्व	11.96	6.40
प्रचालन से राजस्व (सकल)	490.20	439.06
प्रचालन से राजस्व (निवल)	450.75	404.59
सकल लाभ (ई.बी.आई.टी.डी.ए.)	29.15	26.47
घटाइएः मूल्यह्रास	6.01	5.60
ब्याज़	18.49	16.58
कर से पहले लाभ	4.65	4.29
आयकर	1.03	0.88
घटाइए : लाभांश भुगतान	.	.
घटाइए : लाभांश वितरण कर	.	.
वर्ष के लिए निवल लाभ	3.62	3.41
जोड़िएः अग्रानित लाभ	8.89	5.48
लाभ अग्रेनित	12.51	8.89
निवल मूल्य	103.85	100.22

कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए गत वर्ष के 100.22 करोड़ रु0 से बढ़कर 31 मार्च, 2019 तक 103.85 करोड़ रु0 हो गया है।

2. उत्पादन निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2017–18 के 10204 मी.ट./कि.ली. उत्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में 8931 मी.ट/कि.ली. का कुल उत्पादन हुआ।

3. बिक्री निष्पादन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि के साथ 478.24 करोड़ रु0 का अधिकतम टर्नओवर प्राप्त किया।

4. लाभांश/रिजर्व अंतरणः

चूंकि लाभांश की मात्रा काफी कम है और इसे भविष्य के लिए रखे जाने का प्रस्ताव है, वर्ष 2018–19 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है। 3.62 करोड़ रुपये आरक्षित (रिज़र्व) में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

5. कृषि रसायन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के कृषि रसायन का टर्नओवर 92.08 करोड़ रु0 जी.एस.टी. रहित है। गत वर्ष के 10204 मी.ट./कि.ली. की अपेक्षा इस वर्ष 8931 मी.ट./कि.ली. उत्पादन हुआ। 1273 मी.ट./कि.ली. की कमी का कारण चीन में कुछ प्रदूषण कारणों से अधिकांशतः चीन से आयातित कच्चे माल आदानों की अनुपलब्धता है। चीन सरकार ने विशिष्ट और मध्यवर्ती रसायनों के उद्योगों को फरवरी 2018 से बंद करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप हिल के लिए प्रमुख मुख्य कच्चे माल की उपलब्धता कम हो गई है और अत्यधिक उच्च मूल्य पर उपलब्धता भी कम उत्पादन का कारण है।

कंपनी ने फसल संरक्षण की विभिन्न श्रेणियों में वृद्धि करने की महत्वकांक्षी योजना अपनाई है और हमने कीटनाशी और शाकनाशी श्रेणी में 400 कि.ली.. की मात्रा के साथ हिलबान (क्लोरपाइरिफोस 20% ई.सी.), 215 कि.ली. हिलमाला (मैलाथियॉन), 163 कि.ली. ट्रिनाशी (ग्लाईफोसेट), 90 कि.ली. हिलक्रॉन (मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल.) का उत्पादन एवं विक्रय किया। हमनें फफूंदनाशी श्रेणी में 110 मी.ट. हिलथान (मैंकोजेब) और 70 मी.ट. हिलपंच (मैंकोजेब + कार्बनडेजिम) का उत्पादन एवं विक्रय किया।

मार्किट की मांग के अनुसार तथा तत्पश्चात् हमने हिललाम्बदा प्लस (लाम्बदा साइहैलोथ्रिन 4.9 सी.एस.), हिल (2–4, डी. (2–4,

डी. अमोनियम सॉल्ट 58% एस.एल.), हिलमिडा प्लस (इमिडाक्लोप्रिड 30.5 एस.सी.), ट्रिनाशी प्लस (ग्लाईफोसेट 71% के अमोनियम सॉल्ट) तथा हिलफेट प्लस (एसिफेट 35% + बूफ्रोफेज़िन 15%) जैसे व्यावसायिक उत्पादों का उत्पाद आरंभ किया और विक्रय किया तथा खेतों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं।

कंपनी न्यूनतम आदान लागत से उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में बदलाव की संभावनाओं को खोज रही है तथा बढ़ी हुई क्षमता उपयोग के माध्यम से उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है।

6. बीज प्रभाग

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का बीज टर्नओवर में गत वर्ष से 24% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए गत वर्ष के 51 करोड़ रुपये की अपेक्षा 63.03 करोड़ की वृद्धि रही है। यह संभवतः उत्तर पूर्वी राज्यों मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम में बीज की बिक्री के विस्तार के कारण हुई है। कंपनी राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम तेल (एन.एम.ओ.ओ.पी.) तथा कृषि मंत्रालय के विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) द्वारा आवंटित विभिन्न राज्य सरकारों को तिलहन एवं दालों की फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मो के बीज मिनिकिट कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने तिलहन फसल के 75,183 बीज मिनिकिट और दलहन फसल के 96,967 को सम्मिलित करते हुए 13.20 करोड़ रुपये की कीमत वाले 1,72,150 बीज मिनिकिटों की आपूर्ति की है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई. सी.ए.आर.), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था जैसेः– अर्ध–शुष्क उष्णकटिबंधीय (आई.सी. आर.आई.एस.ए.टी.) के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान से उत्कृष्ट समन्वय एवं संपर्क बनाए हुए है। सशक्त संपर्क होने के परिणामस्वरूप, कंपनी मूंगफली एवं सोयाबीन की किस्मों, जिसमें कपंनी ने आबंटित मात्रा का 100% उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, से संबंधित 1165 क्विंटल प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए मूंगफली एवं सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय से आवंटन प्राप्त करने में समर्थ रही है। यह गर्व का विषय है कि कंपनी ने इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है जो कि वैज्ञानिक एवं प्रतिष्ठित गतिविधि प्रकृति की हैं तथा जो सामान्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ही की जाती हैं।

कंपनी ने एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रथाओं को अपनाकर किसानों के मध्य कीटनाशक के प्रयोग को कम करने के प्रति जागरूकता पैदा करने लिए कीटनाशक के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर किसानों को प्रशिक्षित करने का महत्वकांक्षी कार्यक्रम अपनाया है। यह कार्यक्रम कृषि लागत को कम करने और पर्यावरण, मृदा स्वास्थ्य, मनुष्य, पक्षियों, पशुधन और भूमिगत जल को कीटनाशकों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण कीटनाशकों के अवशेषों के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए महत्व रखते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा देश के विभिन्न भागों में गत वर्ष के 19 कार्यक्रमों के मुकाबले 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

श्री देवेन्द्र सिंह, सलाहकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की उपस्थिति में हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र. में कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधन करते हुए श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, जोरहाट एवं इम्फाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस संबंध में 11 जून, 2018 को आयोजित रसायन और उर्वरक मंत्रालय समीक्षा बैठक में संसदीय स्थायी समिति द्वारा कंपनी की पहल और योगदान की बहुत सराहना की गई है।

कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), जोरहाट, असाम में हिल द्वारा आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम।

यह भी हर्ष का विषय है कल्याणकारी कृषक समुदाय के लिए किए गए इस अनूठे योगदान के लिए कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रीनटेक सी.आर.एस. 2018 पुरस्कार प्रदान किया गया है।

कंपनी ने माननीय प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास पर भी प्रशिक्षणों का आयोजन किया है जिसमें 350 मालियों/पौधमालियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनके लिए रोज़गार की संभावनाएं प्रशस्त हुई हैं।

बीज कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी ने ओड़िशा एवं आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इन राज्यों में राज्य प्रायोजित बीज उत्पादन/वितरण कार्यक्रम के तहत इन राज्यों में बीज उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

माननीय कृषि एवं किसान सशक्तिकरण , एफ.आर.डी. एवं उच्चतर शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में ओड़िशा में बीज उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग एवं ओड़िशा स्टेट सीड कॉरपोरेशन लि. के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करते हुए श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सुंदरबन डेल्टा अथॉरिटी को पहली बार 730 क्विंटल एलिफेंट फुट याम राइजोम की आपूर्ति की गई है। इन गतिविधियों ने कंपनी को सुनिश्चित बीज बाजार प्रदान किया है।

7. उर्वरक प्रभाग

कृषि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 18 प्रतिशत है और यह भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। उर्वरक कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। भारत विश्व में उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश के कृषक समुदाय की आवश्यकताओं को देखते हुए कीटनाशक, बीज एवं उर्वरक की पूर्ण बास्केट प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ कंपनी 4 वर्ष पूर्व उर्वरक कारोबार के क्षेत्र में विविधता लाई और और वर्ष अर्थात 2019–20 में 2 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आपूर्ति के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की परिकल्पना की तथा आगे गत वर्ष की तुलना में 50% वृद्धि का लक्ष्य है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने पाउडर सिंगल सुपर फास्फेट (पी.एस.एस.पी.) और दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट (जी.एस.एस.पी.) की आपूर्ति के लिए ट्रेडिंग के आधार पर प्रमुख सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किए हैं। कंपनी ने विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, बिहार और कर्नाटक एवं अन्य राज्यों में नीम लेपित यूरिया तथा अन्य जटिल उर्वरकों की आपूर्ति के लिए साथी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एन.एफ.एल.) और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने तमिलनाडू तथा केरल राज्य में अपने उर्वरकों की आपूर्ति के लिए सहकारी समितियों जैसे इफको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान लगभग 130 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हमने देश के अन्य अप्रयुक्त बाजारों में व्यापार सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए 250 करोड़ का लक्ष्य रखा है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि हिल ही ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो कृषक समुदाय को कृषि रसायनों, बीजों और उर्वरकों तीनों क्षेत्रों में उचित दरों पर गुणवत्तावान उत्पाद उपलब्ध कराता है।

8. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान और विकास की गतिविधियाँ "हरित पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण" के आदर्श वाक्य के साथ की जाती हैं। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक विकास के लिए और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार करना है तथा प्रक्रिया कमी के कारण होने वाले दोषों और अस्वीकारों को समाप्त करना है। अनुसंधान एवं विकास अच्छा कार्य कर रहा है तथा प्रक्रिया और विश्लेषणात्मक सुधार विधियों में उत्पादन और गुणवत्ता को समर्थन प्रदान कर रहा है।

गुरूग्राम स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र और सभी यूनिटों में मैंकोजेब, मैलाथियॉन, बूपरोफेज़िन, क्लोरपाइरिफॉस, पेंडीमेथलीन, ग्लाइफोसेट, एसिफेट आदि उत्पादों के लिए निरंतर प्रक्रिया सुधार में लगातार कार्य किया जा रहा है।

9. एम ओ यू :

लोक उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न समझौता ज्ञापन (एमओयू) पैरामीटरों के आधार पर वर्ष 2017–2018 के लिए कंपनी प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया तथा कंपनी को **"संतोषजनक"** दर्जा प्राप्त हुआ है।

10. पुरस्कार/सम्मान

वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैः

1. देश के कृषि विकास पर जन धारणाओं में परिवर्तन के लिए फिक्की इंडिया केम 2018 पुरस्कार।
2. देश के कृषि विकास के लिए स्कोच–2018 ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार।
3. कृषि विकास के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा

श्रेष्ठ सरकारी पहल के लिए अंथ्रोनिक द्वारा इंडिया कॉनकोर्ड पुरस्कार 2018

4. एसोचैम द्वारा आयोजित समारोह में माननीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री श्री रतन लाल कटारिया से विविधता एवं समावेश के लिए सर्वश्रष्ठ नियोक्ता पुरस्कार प्राप्त किया।

5. नराकास, बठिंडा के तत्वावधान में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अयोजित हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता में बठिंडा यूनिट के श्री अभिषेक कौशिक को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

6. हिल (इंडिया) लिमिटेड को दिल्ली में आयोजित हिन्दी सलाहाकार समिति की बैठक में राजभाषा 'हिन्दी' के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए रसायन और उर्वरक एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री अनन्त कुमार के कर–कमलों से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिल (इंडिया) लिमिटेड को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के कर–कमलों से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ0 एस.पी. मोहन्ती ने प्राप्त किया।

8. कृषि विकास के लिए ग्रीनटेक सी.एस.आर. सिल्वर अवार्ड 2018 प्राप्त हुआ।

कृषि विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सर्वोत्तम सरकारी पहल हेतु अंथ्रॉनिक द्वारा इंडिया कॉनकोर्ड पुरस्कार 2018 प्राप्त करते हिल के अधिकारी।

11. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी प्रचालन के विभिन्न कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी) का प्रयोग कर रही है। हिल ने दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुरूप होने का प्रयास किया है। लगभग सभी व्यापार संबंधी एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रणाली में कार्य कर रही हैं। हाल ही में, छुट्टी प्रबन्धन प्रणाली और वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्टों को भी कम्प्यूटरीकृत किया गया है। हमने कंपनी के सभी प्रचालन क्षेत्रों में उत्पादकता, कुशलता से कार्य करने तथा अपने कारोबार संबंधी कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई.आर.पी. (सैप) क्रियान्वित किया है। सभी स्थानों पर लीज़्ड लाइन/ब्रॉडबैंड/वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। कंपनी कच्चे माल, पैकिंग सामग्री तथा अन्य संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए ई–प्रोक्योरमेंट का प्रयोग कर रही है। हम कार्यालय उपकरण तथा आई.टी. संबंधी हार्डवेयर की खरीद हेतु सक्रिय रूप से जी.ई.एम का प्रयोग कर रहे हैं। कार्यालय में फाइलों के सकुशल तथा पारदर्शी समयोचित प्रक्रमण के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। हमारी वेबसाइट अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में द्विभाषी है और सभी नवीनतम गतिविधि, निविदाएं तथा रिक्तियां वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।

12. सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) पहलों पर विकसित एवं कार्यान्वित की गई नीतियों का विवरण :

उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पर दिशा–निर्देशों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। दिशा–निर्देशों के अनुरूप, कंपनी की एक बोर्ड से अनुमोदित सी एस आर नीति है।

बोर्ड की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी तथा संधारणीयता समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं:

1. श्री भरत विदुरभाई भगत	–	अध्यक्ष
2. डॉ. सी.वी. जयामनी	–	सदस्य
3. श्री ओम प्रकाश मित्तल	–	सदस्य
4. श्री अंजन बनर्जी	–	सदस्य

कंपनी लगातार समाज के अल्प विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के उत्थान की ओर काम करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, व्यावसायिक कौशल जैसे क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करके समर्थन प्रदान करती है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित व्यवहार्य और धारणीय सी एस आर कार्यकलापों की पहल की गई है।

1. बेहतर सफाई सुविधाओं के लिए, सावला गांव उच्च विद्यालय रसायनी यूनिट महाराष्ट्र में महिला शौचालय का निर्माण कराया गया।

2. सेनटरी नेपकिन को जलाने के लिए सावले ग्राम पंचायत को मशीन उपलब्ध करवाई है।

3. मुंबई में विशेष अधिकार से वंचित लोगों के लिए भोजन की समस्या के दूर करने के लिए स्नैक वितरण पहल द्वारा एक कदम आगे बढ़ाया।

4. उद्योगमण्डल, केरल में एलूर गांव और महाराष्ट्र में रसायनी के नजदीक सावला गांव में स्कूल के बच्चों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें, वर्दी, स्कूल बैग इत्यादि देकर शिक्षा को बढ़ावा देना।
5. केरल में एलूर नगर निगम निवासियों को सुरक्षित पीने का पानी प्रदान करना।

वर्ष 2018—19 के दौरान कंपनी ने सी.एस.आर. पहलों पर 19.75 लाख रु0 (गत वर्ष 12.00 लाख रु0) खर्च किए हैं। कंपनी ने पर्यावरणीय प्रबन्धन, उर्जा संरक्षण और दीर्घकालिक विकास के लिए सामाजिक उत्थान का नेतृत्व करने में श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाई है।

13. मानव संसाधन विकास

जैसा कि कार्मिक कंपनी के विकास और प्रचालन प्रभावकारिता के संचालक होते हैं, कंपनी अपनी पूर्ण कार्यक्षमता प्राप्ति के लिए मानव संसाधन विकास के लिए प्रयासरत है। वित्तीय वर्ष 2018—19 से संबंधित प्रासंगिक मापदंड निम्नानुसार हैं:—

संगठन के विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन विशेषज्ञ और प्रमुख प्रशिक्षक डॉ0 आशीष सेन द्वारा अभिप्रेरक सत्र का आयोजन।

कार्मिक शक्ति : दिनांक 31.03.2019 को कुल कार्मिक शक्ति 774 थी, जिसमें 258 कार्यपालक तथा 516 गैर—कार्यपालक थे, जबकि गत वर्ष कार्मिक शक्ति 895 थी, जिसमें, 274 कार्यपालक तथा 621 गैर—कार्यपालक थे।

औद्योगिक संबंध : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग: वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति जी के निर्देशों के कार्यान्वयन को जारी रखा। 31.03.2019 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल कार्मिकों की सं. निम्नानुसार है:—

	सं0
अनुसूचित जाति	129
अनुसूचित जनजाति	40
अन्य पिछड़ा वर्ग	234
कुल	**403**

कंपनी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किए गए कार्य/उठाए गए कदमः—

कंपनी ने अपनी यूनिटों के *पड़ोसी* क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों हेतु कल्याण के उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है अर्थात स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों एवं स्कूल यूनिफार्म का वितरण तथा स्थानीय निकायों की पीने के पानी की आपूर्ति में जब भी आवश्यकता हो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि की स्थापना करने में सहायता करना।

14. कर्मचारी एवं संबंधित प्रकटीकरण का ब्यौरा

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है।

15. निदेशकों, प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक से संबंधित प्रकटीकरण एवं कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी एक भारत सरकार का उद्यम है तथा निदेशकों के पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, कंपनी अधिनियम के निबन्धन के अनुसार एक पारिश्रमिक समिति का भी गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व स्वतन्त्र निदेशक द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना कंपनी के प्रबन्धकीय कार्मिको के संबंध में (प्रबन्धकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाएं, जो इस रिपोर्ट में परिशिष्ट के रुप में संलग्न हैं।

16. राजभाषा हिन्का कार्यान्यन

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। हिल (इंडिया) लिमिटेड राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है। तदनुसार हम राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और राजभाषा हिन्दी में हुई प्रगति की समीक्षा करने हेतु अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करते हैं।

वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी संबंधित दस्तावेज़ों को द्विभाषी अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में जारी किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर

हिन्दी में दिया गया तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यानुसार मूल रूप से हिन्दी पत्राचार तथा टिप्पण करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए गए।

कंपनी के वेबसाइट द्विभाषी है कंपनी द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों के लीफलैट तथा लेबल न केवल अंग्रेज़ी और हिन्दी में हैं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार किए जाते हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित किए कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष के दौरान, निगमित कार्यालय को नराकास (उपक्रम –2) दिल्ली द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:–

क) सर्वश्रष्ठ गृह पत्रिका प्रकाशित करने के लिए
ख) राजभाषा प्रदर्शनी में प्रतिभागिता के लिए
ग) क्विज़ प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त होने पर

– इसके अतिरिक्त कंपनी के दो कर्मचारियों ने नराकास (उपक्रम –2) दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित क्विज़ प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए।

– कंपनी के प्रधान कार्यालय और इसकी तीनों यूनिटों में 20 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें से 8 कार्यशालाओं में कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिन्दी में टंकण कार्य करने के लिए तथा 12 कार्यशालाओं में कार्मिकों को हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

– हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त, कंपनी के प्रधान कार्यालय और यूनिटों में हिन्दी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया, जिसके दौरान विभिन्न हिन्दी की प्रतियोगिताएं, जैसे हिन्दी निबंध, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, वाद–विवाद, हिन्दी श्रुतलेखन, अनुवाद, स्लोगन, कविता लेखन, प्रश्न मंच और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया है। पखवाड़े में सफलता प्राप्त कार्मिकों को कंपनी में लागू पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के अनुसार नकद और वस्तु रूप में पुरस्कार दिए गए।

हिन्दी पखवाड़ा के समापन समारोह पर हिल के स्टाफ को संबोधित करते हुए श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और श्री अंजन बनर्जी, निदेशक (वित्त)।

– वर्ष के दौरान, कार्मिकों की हिन्दी लेखन प्रतिभा में वृद्धि करने हेतु और कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए छःमाही आधार पर अपनी गृह पत्रिका 'रक्षक' के दो अंकों का प्रकाशन भी किया गया।

– वर्ष के दौरान, निगमित कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की जांच हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा निरीक्षण किए गए तथा दोनों विभागों द्वारा राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की सराहना की गई।

– कार्मिकों के राजभाषा हिन्दी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, 'आज का शब्द' नामक गतिविधि के अंतर्गत नोटिस बोर्ड पर दो नए अंग्रेजी शब्दों को हिन्दी में उनके वैकल्पिक शब्दों को सम्मिलित करते हुए दैनिक आधार पर प्रदर्शित किया जाता है।

नराकास (उपक्रम–2), दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित क्विज़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करतीं हिल की कार्मिक।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005:

प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आर.टी.आई एक अनिवार्य उपकरण है। कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर.टी.आई) के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में लगातार काम कर रही है और कंपनी में इसकी यूनिटों सहित सफलतापूर्वक इस अधिनियम को लागू किया गया है। कंपनी आर.टी.आई आवेदनों/अपीलों से संबंधित समय पर तिमाही रिपोर्टिंग तथा

अभिलेखों के रखरखाव करती है। आर.टी.आई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए कंपनी आवेदकों को सटीक और समय पर सूचना का प्रसार करती है।

18. उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश तथा विदेशी मुद्रा से आय तथा व्यय पर रिपोर्टः

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) से संबंधित विवरण क) उर्जा संरक्षण ख) प्रौद्योगिकी समावेश ग) विदेशी मुद्रा से आय और व्यय के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

19. जोखिम प्रबन्धन नीति का कार्यान्यन :

कंपनी ने जोखिम प्रबन्धन की महत्वता को समझा है तथा एक विस्तृत प्रबन्धन ढांचे को अपनाया है। डी.पी.ई. के दिशा–निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबन्धन नीति के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (आर.एम.सी) गठित की गई है। आर.एम.सी जोखिमों की पहचान और समीक्षा करने तथा अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही आधार पर जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करने तथा रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार है। संचालनों, पर्यावरण, वित्त, विपणन, मानव संसाधन, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिभूति, परियोजनाओं आदि से संबंधित सभी जोखिमों पर निरंतर जांच की जा रही है।

20. निदेशकों का जिम्मेदारी स्वरूप वक्तव्य :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ग) के अनुसरण में लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ नोट 30 तथा लेखा टिप्पणी 31 वित्तीय नीति के साथ पढ़े जाएंगे, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं किः–

(i) वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा कंपनी द्वारा उनमें से कोई सामग्री बाहर नहीं भेजी गई।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका समनुरूप प्रयोग किया है और जो उचित है उनके बारे में निर्णय एवं आकंलन किया है ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी की लाभ एवं हानि के बारे में उचित एवं सही दशा प्रस्तुत कर सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्ति को सुरक्षित रखने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने के लिए तथा धोखेबाजी तथा अन्य विनियमितताओं को रोकने और पता लगाने हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती हैं।

(iv) वार्षिक खातों को एक चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया गया है

(v) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रण क्षेत्र पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

(vi) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का निर्माण किया गया है और ऐसे सिस्टम पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

21. कारपोरेट संचालन का अनुपालन :

सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा कारपोरेट संचालन पर लागू दिशा–निर्देशों अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को ग्रेडिंग के उद्देश्य से कुछ माप दण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा यह रिपोर्ट सरकार को तिमाही /वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपकी कंपनी द्वारा डी.पी. ई द्वारा निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट संचालन पर निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है तथा सरकार को नियमित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

कॉरपोरेट संचालन पर रिपोर्ट परिशिष्ट –1 पर संलग्न है।

22. बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए आचार संहिताः

कॉर्पोरेट शासन के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड के लिए आचार संहिता, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने पुष्टि की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ''निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के आचरण संहिता'' के प्रावधानों का पालन किया गया है।

23. बोर्ड के निदेशक

कंपनी में निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस.पी. मोहन्ती*	निदेशक (विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	15/09/2015 निदेशक (विपणन) 04/07/2016 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

2.	श्री अंजन बनर्जी	निदेशक (वित्त)	15/02/2017
3.	श्री समीर कुमार बिश्वास	सरकार द्वारा नामित निदेशक	28/11/2016
4.	श्री डी.के. मदान	सरकार द्वारा नामित निदेशक	09/08/2017
5.	श्री ओमप्रकाश मित्तल	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	15/06/2016
6.	डॉ0 सी.वी. जयामनी	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	15/06/2016
7.	श्री भरत विदुरभाई भगत	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	15/06/2016

* श्री एस.पी. मोहन्ती दिनांक 15.09.2015 को निदेशक (विपणन) के रूप में नियुक्त हुए और श्री मोहन्ती को 04.07.2016 से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

24. लेखा परीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। वर्तमान संरचना के अंतर्गत कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार हैः–

1. श्री ओम प्रकाश मित्तल – अध्यक्ष
2. श्री भरत विदुरभाई भगत – सदस्य
3. डॉ0 सी.वी. जयामनी – सदस्य

25. सांविधिक लेखा परीक्षकः

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए यूनिटों एवं कार्यालयों के संबंध में उनके नाम के आगे लिखी गई निम्नलिखित सनदी लेखाकारों की फर्मों को कंपनी के सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है :–

लेखा परीक्षक का नाम	यूनिट/कार्यालय जिसके लिए लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए
मैसर्ज गुप्ता रूस्तागी एण्ड अग्रवाल	प्रधान कार्यालय, बठिंडा यूनिट, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (चण्डीगढ़), अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलेक्स, गुरूग्राम तथा समेकित लेखे
मैसर्ज जे. काला एण्ड एसोसिएट्स, मुम्बई	रसायनी यूनिट तथा क्षेत्रीय बिकी कार्यालय पुणे तथा अहमदाबाद
मैसर्ज अब्राहम थॉमस एण्ड कंपनी, केरल।	अलवई यूनिट तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – कोयम्बटूर तथा हैदराबाद
मैसर्ज पी. बंधोपाध्याय एण्ड दत्त, पश्चिम बंगाल।	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, कोलकाता

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर निदेशकों के उत्तरों की टिप्पणियां जांच कार्य लेखे के साथ अनबद्ध हैं।

26. लागत–लेखा–परीक्षाः

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित लागत–लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है–

1. मैसर्ज ए.आर. नारायण एण्ड कं. केरल – उद्योगमण्डल यूनिट
2. मैसर्ज बी. एम., शर्मा एण्ड एसोसिएट्स, महाराष्ट्र – रसायनी यूनिट
3. मैसर्ज के.सी. कोहली एण्ड कंपनी, दिल्ली – बठिंडा यूनिट

27. आंतरिक लेखा परीक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के संदर्भ में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

1. मैसर्ज आर.एन. सिंह एण्ड कंपनी – कोलकाता एवं हैदराबाद
2. मैसर्ज डी.एन.ए. एण्ड कंपनी – प्रधान कार्यालय
3. मैसर्ज आर. सेठ एण्ड एसोसिएट्स – रसायनी, उद्योगमंडल, बठिंडा, चंडीगढ़, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और पुणे

28. प्रबन्धन परिचर्चा तथा विश्लेषणः

प्रबन्धन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट परिशिष्ट–II पर है।

29. सहायक कंपनी (एस पी सी एल)

बी.आई.एफ.आर की सिफारिश और माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के 02.04.2002 के आदेश से सहायक कंपनी अर्थात दि सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड बंद हो गई थी। 31. 03.2019 को एस.पी.सी.एल के लिए अंतिम लेखे तैयार नहीं किए गए थे और सहायक कंपनी के खातों को एच.आई.एल की

वार्षिक रिपोर्ट के साथ जोड़ा नहीं गया है।

तथापि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की उपधारा 3 के अधीन अपेक्षित सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के विशेष महत्वपूर्ण लेख सहित फॉर्म ए.ओ.सी –1 विवरण कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

30. पब्लिक डिपोज़िट:

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी नियम 2014 (डिपोज़िट की स्वीकार्यता) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 74 के आश्य में कोई डिपोजिट स्वीकार नहीं किया है।

31. वार्षिक प्रतिलाभ के उद्धरण:

कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप धारा (3) के तहत अपेक्षित वार्षिक प्रतिलाभ के उद्धरण इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

32. बोर्ड एवं लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की सं.:

कंपनी की बोर्ड और लेखा समितियों की सं0 का विवरण कारपोरेट शासन रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, में वर्णित है।

33. एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा:

श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री भरत वी. भगत और डॉ सी.वी. जयामनी, स्वतन्त्र निदेशकों ने बोर्ड में प्रकटन किए है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधान के अधीन एक स्वतन्त्र निदेशक की अपनी नियुक्ति के लिए अर्हता के रूप में सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। बोर्ड ने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत स्वतन्त्र निदेशक के लिए निर्धारित मापदण्ड पूरा करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, वर्ष 2018–19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 29 मार्च, 2019 को संपन्न हुई।

34. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत, गारन्टी अथवा निवेश का विवरण:

विवेच्याधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कंपनी ने कोई ऋण, गारन्टी अथवा निवेश नहीं किया है और तथापि, उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं है।

35. संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अधीन विहित कोई संविदा दर्ज नहीं की है।

36. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान एवं उनके कर्तव्यों का निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति।

कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है तथा सभी निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मान के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाते हैं। कंपनी ने प्रदर्शन से संबंधित वेतन और अन्य लाभ आदि यदि कंपनी के कार्मिकों को देय हों, का निर्णय लेने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2008 के का.ज्ञा. सं 2(70)/08– डी पी ई (डब्ल्यू.सी) द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान निर्धारित किए गए हैं।

37. सचिवालयी मानकों का अनुपालन

परिशोधित सचिवालयी मानकों के अनुसार, यह कहा जाता है कि कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों का अनुपालन किया गया है।

38. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गया कोई अन्य सांविधिक अनुपालन

ए सी टी आई वी (एक्टिव कंपनी टेगिंग आईडेंटिफिकेशन एवं वैरिफिकेशन)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी के ब्यौरे और उसके पंजीकृत कार्यालय, ई–फॉर्म में ए सी टी आई वी (एक्टिव कंपनी टेगिंग आईडेंटिफिकेशन एवं वैरिफिकेशन) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ दायर किया गया।

39. केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य अन्य धाराओं के अतिरिक्त धारा 143 की उप–धारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा सूचित धोखाधड़ी के संबंध में विवरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं है।

40. सार्वजनिक खरीद नीति का सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एम.एस.ई.) आदेश, 2012

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 23 मार्च, 2012 के आदेश द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं की खरीद के संबंध में सार्वजनिक खरीद नीति को अधिसूचित किया है और इसके पश्चात् 9 नवंबर, 2018 को इसे भारत सरकार के राजपत्र में गजट अधिसूचना एस.ओ. 5670(ई) दिनांक 9 नवंबर, 2018 द्वारा संशोधित किया गया है। सूक्ष्म, लघु

एवं मध्यम उद्योग के लिए 1 अप्रैल, 2015 से लागू सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और 4% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु उद्योग को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से 20% वार्षिक खरीद अनिवार्य है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम एस ई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 में संशोधन से भारत सरकार के गजट अधिसूचना एस.ओ. 5670(ई) दिनांक 9 नवंबर, 2018 द्वारा संशोधित भारत सरकार के विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योग से माल एवं सेवाओं की खरीद का प्रतिशतता महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उद्योगों के 3% आरक्षण के साथ न्यूनतम लक्ष्य 20% से बढ़कर 25% तक हो गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ताओं की प्रतिशतता में 4% से 5% तक की वृद्धि हुई है। यह संशोधन 9 नवंबर, 2018 से लागू किया गया है।

वर्ष के दौरान 2018–19 सूक्ष्म लघु उद्योगों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए) से कुल खरीद 35.33 करोड़ है, जो कंपनी द्वारा विनिर्माणन यूनिटों के कुल वार्षिक खरीद के 25% लक्ष्य की तुलना में 33.93% था।

सूक्ष्म लघु उद्योग से खरीद के लिए विनिर्दिष्ट सामग्री खरीद के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमकर्ता के लिए सामग्री की पहचान कर रहे हैं जैसे कि हमारे मुख्य खरीद कच्चे माल, गैस, बिजली आदि हैं जिस क्षेत्र में ये उद्यमकर्ता बहुत कम हैं।

41. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और सुधार) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटीकरण।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार कंपनी के कार्यस्थल पर महिलाओं में यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक नीति है।

महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से, सभी यूनिटों एवं प्रधान कार्यालय में 8 मार्च, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया।

हिल के प्रधान कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

आभार

आपके निदेशक भारत सरकार द्वारा, विशेषतः रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए हार्दिक रूप से उनका आभार प्रकट करते हैं। हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों के लागत लेखा शाखा, तथा कंपनी बैंकरों की उनके निरन्तर समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं।

हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक और आन्तरिक लेखा परीक्षकों का उनके लगातार समर्थन एवं सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करते हैं।

हम सभी स्तरों पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और अस्थिर प्रयासों के लिए हमारी सराहना को दर्ज करना चाहते हैं और आने वाले वर्षों में उनके निरंतर समर्थन और समर्पण के लिए तत्पर हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(एस.पी. मोहन्ती)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डी.आई.एन. : 05336787

दिनांक : 12.09.2019
स्थानः दिल्ली

परिशिष्ट –1

कारपोरेट संचालन पर रिपोर्ट

कम्पनी की कारपोरेट संचालन पर दार्शनिकता

कंपनी शासन और नैतिकता के साथ विकास और दक्षता के सम्मिश्रण में विश्वास करती है। साथ ही, कंपनी लगातार अपनी समुन्नति और इसके लिए अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, अन्य सहयोगी व्यक्ति तथा संपूर्ण समाज के लिए निरंतर रूप से दीर्घ कालिक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत रहती है।

आपकी कंपनी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में निगमित शासन की प्रक्रिया का दृढ़ता से अनुसरण करती है, ताकि निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वास अखंडता, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों को नैतिक और व्यावसायिक आचरण पर जोर दिया जा सके। हिल यह भी मानती है कि मज़बूत कारपोरेट संचालन प्रत्येक शेयरधारक का विश्वास बढ़ाने में और बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यह हमारी संस्कृति, हमारी नीतियाँ, हमारे ग्राहक के साथ हमारे संबंध का प्रतिबिंब है। तद्नुसार, कंपनी हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रदर्शन सत्यनिष्ठा से प्रेरित हो।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरंचनाः हिल के निदेशक मंडल में दिनांक 31.03.2019 तक सात निदेशक हैं, जिसमें दो कार्यात्मक निदेशक हैं और श्री समीर कुमार बिश्वास, संयुक्त सचिव को सम्मिलित करते हुए दो गैर–कार्यकारी निदेशक हैं, जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित हैं और इसके अतिरिक्त गैर सरकारी स्वतन्त्र निदेशक हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान हिल के निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक थे :–

कार्यकारी निदेशकः–	
श्री एस.पी. मोहन्ती	15.09.2015 से निदेशक (विपणन) तथा 04.07.2016 से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
श्री अंजन बनर्जी	निदेशक (वित्त)15.02.2017 से
गैर–कार्यपालक निदेशकः–	
श्री समीर कुमार बिस्वास	सरकारी निदेशक 28.11.2016 से
श्री डी.के. मदान	सरकारी निदेशक 09.08.2017 से
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकः–	
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक 15.06.2016 से
डॉ0 सी.वी. जयामनी	स्वतंत्र निदेशक 15.06.2016 से
श्री भरत विदुरभाई भगत	स्वतंत्र निदेशक 15.06.2016 से

बोर्ड की बैठकों की संख्या/बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति तथा वर्ष 2018–19 के दौरान अंतिम वार्षिक आम बैठक।

बैठक की तारीख	बैठक का स्थान	बैठक की तिथि तक निदेशकों की कुल संख्या	निदेशकों की उपस्थिति
17.05.2018	प्रधान कार्यालय	7	7
04.08.2018	चेन्नई	7	6
24.09.2018	प्रधान कार्यालय	7	7
13.12.2018	रसायनी यूनिट	7	7
29.03.2019	ए.ए.आई.ओ. इंस्टीट्यूट, सफदरजंग, दिल्ली	7	7

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बोर्ड की बैठकों में भाग लिया	24.09.2018 को हुई गत वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	31.03.2019 तक अन्य कम्पनियों में अन्य डायरैक्टरशिप की संख्या
1.	श्री एस.पी. मोहन्ती	5	उपस्थित	शून्य
2.	श्री समीर कुमार बिश्वास	5	–	1@
3.	श्री डी.के. मदान	4	उपस्थित	1*
4.	श्री अंजन बनर्जी	5	उपस्थित	शून्य
5.	श्री ओम प्रकाश मित्तल	5	उपस्थित	4$
6.	डॉ0 सी.वी. जयामनी	5	उपस्थित	शून्य
7.	श्री भरत विदुरभाई भगत	5	उपस्थित	शून्य
8.	श्री जे. हरि प्रसाद (भारत के राष्ट्रपति की ओर से नामित शेयरधारक)	–	उपस्थित	–

@ हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल लिमिटेड

$ लघु उद्योग भारती

$ नागौर एग्रोटेक लिमिटेड

$ जयपुर कास्टिंग रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड

$ समिट मेनटॉरिंग कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड

* हिन्दुस्तान फलूरो कार्बन लिमिटेड

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी में एक लेखा–परीक्षा समिति है, जिसमें (तीन) 3 निदेशक हैं– लेखा–परीक्षा समिति के अधिकार, कार्य एवं कर्तव्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार हैं। 31.03.2019 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री ओम प्रकाश मित्तल – अध्यक्ष
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)

2. श्री सी.वी. जयामनी – सदस्य
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)

3. श्री भरत विदुरभाई भगत – सदस्य
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)

वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की बैठकें दिनांक 04.08.2018, 24.09.2018, 13.12.2018 तथा 04.01.2019 को हुई।

नाम	वर्ष के दौरान आयोजित की गई बैठकें	बैठकों में उपस्थित हुए
श्री ओम प्रकाश मित्तल	4	4
डॉ0 सी.वी. जयामनी	4	4
श्री भरत विदुरभाई भगत	4	4
श्री अंजन बनर्जी (विशेष आमंत्रित)	4	4

संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

अन्य विषयों के साथ–साथ लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:–

– कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूक को पकड़ना और इसकी वित्तीय जानकारी का खुलासा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।

– बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए संस्तुत करना।

– सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति।

– प्रबन्धन के साथ, आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।

– आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग की आधिकारिक अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।

– आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर कार्यवाही करनां।

– आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता हो और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना।

– लेखापरीक्षा आरम्भ होने से पूर्व वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखापरीक्षा की प्रकृति और लेखा परीक्षा दायरे के साथ–साथ प्रतिष्ठान के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पश्च –लेखापरीक्षा चर्चा करना।

– मुखबिर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

– नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अवलोकनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

– किसी भी अन्य कार्य को कार्यान्वित करना, जैसा कि लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में उल्लिखित हैं।

पारिश्रमिक समिति

निदेशकों को देय पारिश्रमिक एवं भत्ते भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी उद्यम विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) एक अंशकालिक स्वतन्त्र निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक

समिति का गठन करेगे, जो कार्यपालक संवर्ग के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन नीति तय करेगी।

तदनुसार, समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि समिति ऐसी नीतियाँ बनाएं, जो कार्मिकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करें, संगठन में दक्षता तथा पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता बनाए रखें।

पारिश्रमिक समिति की संरचना दिनांक 31.03.2019 को हिल में निम्नानुसार हैः

1. श्री ओम प्रकाश मित्तल (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) – अध्यक्ष
2. श्री भरत विदुरभाई भगत (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) – सदस्य
3. डॉ0 सी.वी. जयामनी (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) – सदस्य

वर्ष 2018–19 के दौरान कार्यपालक निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक एवं बैठक शुल्क

निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक

(राशि रु0 में)

क्र. सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते	सेवांत लाभों के लिए प्रावधान	अन्य लाभ	कुल
1.	श्री एस.पी. मोहन्ती	21,38,283/-	6,24,572/-	42,516/-	28,05,371/-
2.	श्री अंजन बनर्जी	22,07,830/-	3,80,991/-	42,516/-	26,31,337/-

स्वतन्त्र निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क

गैर कार्यपालक निदेशक को प्रत्येक बोर्ड तथा उप–समिति की बैठक के लिए 7,500/–रु0 बैठक शुल्क दिया जाता है।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

हिल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड) एक सरकारी कम्पनी है तथा कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 100% अर्थात इसकी पूरी शेयर–पूँजी भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय एवं उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास होती है। अतः, ऐसी कोई भी समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

वार्षिक आम बैठक

क्र. सं.	वर्ष	स्थान	दिनांक एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
1.	2016	नई दिल्ली	29.09.2016 (दोपहर 12.00 बजे)	नहीं
2.	2017	नई दिल्ली	28.09.2017 (दोपहर 12.00 बजे)	नहीं
3.	2018	नई दिल्ली	24.09.2018 (दोपहर 03.00 बजे)	नहीं

आगामी वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 30 सितंबर, 2019

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : प्रधान कार्यालय, स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर–6, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

प्रकटीकरणः

निदेशकों का प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई सामग्रीपरक लेन–देन नहीं है, जिससे कम्पनी के हित के साथ भारी मतभेद होने की संभावना हो।

कंपनी द्वारा पूँजी–बाजार से संबंधित किसी मामले के गैर–अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है क्योंकि, हिल. एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन भी कंपनी द्वारा विधिवत् किया गया है।

मुखबिर नीति

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखा धड़ी या आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लघंन से संबंधित प्रबन्धन को सूचित करने के लिए कर्मचारियों और निदेशकों के लिए कंपनीज् (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) में अपेक्षित मुखबिर नीति की स्थापना की है। मुखबिर नीति तंत्र कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पूर्वोपाय करेगी।

सतर्कता

हिल (इंडिया) लिमिटेड में सतर्कता विभाग की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है। सतर्कता विभाग कंपनी के कर्मचारियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कंपनी के नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए दैनिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए विशेष ध्यान देता है। इस उद्देश्य की

पूर्ति के लिए विभाग ने आई.एस.टी.एम. दिल्ली में जी.एफ.आर. –2017 पर कंपनी वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

हिल सतर्कता विभाग द्वारा किए गए सतर्कता कार्य व्यापक दायरे में हैं और इसमें भ्रष्टाचार के बारे में आसूचना जानकारी एकत्र करना और निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करना और अनुचित प्रथाओं/कदाचार आदि की रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाना सम्मिलित है।

वार्षिक संपत्ति रिटर्न, संवेदनशील क्षेत्रों में स्टाफ का नियमित आवर्तन, शिकायतों का अन्वेक्षण, सामग्री की खरीद की समीक्षा एवं सेवा संविदाएं, विविध देनदारों की समीक्षा, नियमित एवं अप्रत्याशित निरीक्षण, लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संवीक्षा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों और दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन। इसके अतिरिक्त तिमाही और वार्षिक रिपोर्टों और रिटर्न को केन्द्रीय सतर्कता आयोग और प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करना अन्य गतिविधियों में सम्मिलित है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार, कंपनी प्रधान कार्यालय के सतर्कता विभाग के साथ–साथ उत्पादन यूनिटों के सतर्कता अधिकारियों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के दौरान दिनांक 29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2018 तक कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन किया गया। सभी हितधारकों, हिल कर्मचारियों, स्थानीय स्कूलों और शैक्षिक स्कूलों आदि के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए सप्ताह के दौरान कई सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस अवधि के दौरान कंपनी के कर्मचारियों के साथ–साथ कंपनी ने भी अखंडता संकल्प लिया। कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ–साथ हितधारकों को सक्षम बनाने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर अवधारणा को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। कर्मचारियों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित अंग्रेजी/हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं में कविता और नारा लेखन प्रतियोगिताओं, वाद–विवाद प्रतियोगिता और निबंध लेखन में भी भाग लिया। विजेताओं के साथ–साथ उपरोक्त कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को सप्ताह के समापन के दिन कंपनी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

निदेशक मंडल को प्रशिक्षण

कंपनी के पास अपने व्यापार मॉडल के साथ–साथ कंपनी के व्यापार पैरामीटर के जोखिम प्रोफाइल, निदेशकों के रूप में उनके उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारियों के श्रेष्ठ निर्वहन पर बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

संप्रेषण का माध्यमः

कंपनी की वेबसाइट www.hil.gov.in पर वार्षिक वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा दिया गया है।

सामान्य शेयर–धारकों के लिए सूचनाः

कंपनी की सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर–पूँजी भारत के राष्ट्रपति महोदय और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास है। वार्षिक आम बैठक का ब्यौरा ऊपर दिया गया है। कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाण – पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
हिल (इंडिया) लिमिटेड,
द्वितीय तल, कोर–6, स्कोप कॉम्पलेक्स,
7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड के द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों को अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होती है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने कि लए कंपनी के द्वारा अंगीकार की गई कार्य प्रणाली और उसके अनुपालन तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवर्णियों की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार में और हमारी अधिकतम जानकारी और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों में किए गए अनुबंध के अनुसार, कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

देबासीस दीक्षित
व्यावसायिक कंपनी सचिव
एफ.सी.एस. – 7218
सी.पी. – 7871

दिनांकः 12 सितम्बर, 2019

अनुबंध – II

प्रबन्धकीय विचार–विमर्श और विश्लेषण

हमारा देश कृषि क्षेत्र की प्रगति की दिशा में तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत वर्तमान में खाद्यान्न और बागवानी के बढ़ते उत्पादन के साथ खाद्य अधिशेष स्तर पर है। तथापि, कृषि क्षेत्र खाद्य संसाधन प्रोत्साहित करने, कृषि–मूल्य श्रृंखला की क्षमता में सुधार करने और फसल पश्चात हानि को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा करता है। जहां तक कृषि रसायन उद्योग का संबंध है, वैश्विक मानकों की तुलना में कृषि रसायन खपत के बहुत कम स्तर के कारण विकास के लिए विशाल अप्रत्यक्ष संभावनाएं देखी जा सकती हैं। जैसा कि वर्ष 1954 में हिल की स्थापना हुई, कपंनी का कृषि क्षेत्र में योगदान स्वतःस्पष्ट है। कंपनी लोक स्वास्थ्य के साथ– साथ फसल सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए कीटनाशकों का निर्माण करती है और यह गुणवत्तावान बीजों के उत्पादन, बहुलीकरण और मार्किटिंग में लगी हुई है। कंपनी ने गुणवत्तावान पैस्टिसाइड्स और गुणवत्तावान बीजों के उत्पादन और आपूर्ति करके कृषिय उत्पादकता में सुधार के लिए योगदान देकर ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार करके ग्रामीण भारत को समृद्ध करने में मुख्य भूमिका निभाई है।

1. कृषि रसायन कारोबार

संयुक्त राज्य, जापान और चीन के बाद भारत कृषि रसायन का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारा देश कृषि रसायन का निवल निर्यातक है और विश्व भर में कीटनाशक के 13वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। कृषि रसायन उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है तथा भारत में बहु राष्ट्रीय कंपनियों से लेकर बड़ी भारतीय कंपनी तक 700 से अधिक फॉर्मूलेशन यूनिटें प्रचालन में हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारतीय कृषि बाजार 50% से अधिक निर्यात योगदान के साथ 5 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

कृषि रसायनों को उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले कीट के अनुसार कीटनाशक, शाकनाशी, फफूंदनाशी, कृतकनाशी (रोडेंटिसाइड्स) जैव–कीटनाशी और सूत्रकृमिनाशी माटिसाइड्स में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया।

हिल ने देश में कृषि रसायन विनिर्माण का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संगठन है और किसानों के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने और किसानों को उनकी लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता करने के लिए एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थान बनाया है। 80% बाजार हिस्सेदारी कीटनाशकों में जेनेरिक उत्पादों द्वारा पूरी की जा रही है और हम मुख्य रूप से जेनेरिक उत्पादों के निर्माण में कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में किसानों की क्रय शक्ति बहुत कम है, इसलिए हमारे जेनेरिक उत्पाद अभी भी किसानों के लिए उपयुक्त हैं।

कंपनी ने फसल संरक्षण की विभिन्न श्रेणियों में वृद्धि करने की महत्वकांक्षी योजना अपनाई है और हमने कीटनाशक और शाकनाशी श्रेणी में 400 कि.ली. की मात्रा के साथ हिलबान (क्लोरपाइरिफोस 20% ई.सी.), 215 कि.ली. हिलमाला (मैलाथियॉन), 163 कि.ली. ट्रिनाशी (ग्लाईफोसेट), 90 कि.ली. हिलक्रॉन (मोनोक्रोटोफॉस 36% एस.एल.) का उत्पादन एवं विक्रय किया। हमने फफूंदनाशी श्रेणी में 110 मी.ट. हिलथान (मैंकोजेब) और 70 मी.ट. हिलपंच (मैंकोजेब + कार्बनडेजिम) का उत्पादन एवं विक्रय किया।

मार्किट की मांग के अनुसार तथा तत्पश्चात् हमनें हिललाम्बदा प्लस (लाम्बदा साइहैलोथ्रिन 4.9 सी.एस.), हिल (2–4, डी. (2–4, डी. अमोनियम सॉल्ट 58% एस.एल.), हिलमिडा प्लस (इमिडाक्लोप्रिड 30.5 एस.सी.), ट्रिनाशी प्लस (ग्लाईफोसेट 71% के अमोनियम सॉल्ट) तथा हिलफेट प्लस (एसिफेट 35% + बूफ्रोफेज़िन 15%) जैसे व्यावसायिक उत्पादों का उत्पाद आरंभ किया औरं विक्रय किया तथा खेतों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं।

जैसा कि सरकार जैविक खेती पर ध्यान केन्द्रित कर रही है, हिल ने जैव–कीटनाशी के उत्पादन और विपणन कार्य में प्रवेश किया है। हम वर्तमान में भारत के कृषक समुदाय द्वारा जैविक कृषि अपनाए जाने के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने की सहायता के रूप में देश की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जैव कीटनाशी के उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में हम ओड़िशा राज्य में एक संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने रसायन संवर्द्धन एवं विकास नीति निधि के तहत कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के विषय के अंतर्गत दो किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की स्वीकृति दी और जिसका आयोजन हमने बैंगलुरू तथा कोलकाता में सफलतापूर्वक किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एम.आई.डी.एच. (एकीकृत बागवानी विकास मिशन) ने किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन

के लिए वित्तपोषित किया है तथा हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार में ऐसे 17 कार्यक्रमो का सफलता पूर्वक आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में अधिक संख्या में किसानों ने भाग लिया और मंत्रालय सहित सभी ने हिल के इस प्रयास की सराहना की है। संयंत्र सुरक्षा प्रभाग ने कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के उद्देश्य के अंतर्गत 7 किसान बैठकों का आयोजन करने की लिए सहायता एवं वित्त पोषित किया, जिसे हमनें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के राज्यों में आयोजित किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त हमारे कार्मिकों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर कृषक भूमि में कीटनाशक का कैसे प्रयोग करें और ध्यान दिए जाने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 24 किसान बैठकों का आयोजन किया है। हमने किसानों की खेतों पर कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग की विधि का प्रदर्शन किया। किसानों और मंत्रालय के विभागीय अधिकारियों ने कार्यक्रमों की सराहना की।

2 बीज व्यापार

भारतीय कृषि क्षेत्र उर्वरकों, भूमि संसाधनों के अतिरिक्त मुख्य रूप से अधिक उपज देने वाली किस्मों के गुणवत्तावान बीज की उपलब्धता और किसानों को उपयोग के लिए उनके खेतों में आपूर्ति पर निर्भर करता है। किसानों के खेत में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत फसल उत्पादन पैकेज के साथ उच्च पैदावार वाले बीजों को प्रयोग में लाना फसल उत्पादकता का प्रमुख कारक है। तथापि, किसानों को पर्याप्त मात्रा में अधिक उपज देने वाले किस्मों के उच्च गुणवत्तवान बीज की आपूर्ति के उद्देश्य से इस क्षेत्र में समुन्नत प्रौद्योगिकी, नए अनुसंधान, उपकरण तथा डिजिटलीकरण की सहायता से बीजों की किस्मों में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में, कृषि प्रमुख व्यवसाय है, जो जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बीज बाजार के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करता है। भारतीय बीज उद्योग विश्व में सर्वाधिक परिपक्व और जीवंत उद्योग में से एक है, 2018 में लगभग यू.एस. $ 4. 1 (28700/– करोड रु0) बिलियन के कारोबार के साथ 5 वें स्थान पर है, 2011–2018 के दौरान सी.ए.जी.आर. का 15.7% प्रदर्शित करता है।

इसके कारण, भारत विश्व भर में पांचवे सबसे बड़े बीज बाजार के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी ने भी उद्योग की सशक्त नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आय स्तर, कृषि का वाणिज्यिकरण, पेटेंट सुरक्षा प्रणाली और बौद्धिक अधिकार जैसे कुछ अन्य विकास–उत्प्रेरण बलों ने बाजार को बड़ा सहयोग दिया है। इन कारकों के कारण, भारतीय बीज बाजार का वर्ष 2019–2024 के दौरान 13.6% के सी.ए.जी.आर. से वृद्धि करने के साथ 2024 तक यू.एस.$ 9.1 बिलियन के मूल्य तक पहुंचना की उम्मीद है।

वर्तमान में, कुल बीज उत्पादन के आधे से अधिक होने के कारण अनाज के बीज सबसे बड़े बीज के प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य बीजों में तिलहन, सब्ज़ी और फल बीज एवं पौधों के बीज सम्मिलित हैं। विकास के लिए मुख्य क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक बीज की आवश्यकता और फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए ध्यान केन्द्रित राज्य हैं।

कंपनी का उद्देश्य कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के उद्देश्य के अनुसार तिलहन और दलहन फसलों के बीजों के उत्पादन और आपूर्ति पर अधिक जोर देना हैं। इसके साथ ही, हमने देश में अपने डीलरों के नेटवर्क को सशक्त करके डीलर नेटवर्क के माध्यम से अपनी बिक्री में भी वृद्धि की है जिससे केवल सरकारी एजेंसियों पर बीज की बिक्री पर निर्भरता को कम किया जा सके।

नई फसलों/किस्मों और अधिक लाभदायक बीज जिनकी बिक्री क्षमता अधिक है, को सम्मिलित करने के लिए कंपनी में चालू बीज गतिविधियों की समीक्षा करने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए, प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक उपाय और सुधार करने, जहां कभी आवश्यक हो, के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। यह एक नियमित फीचर है जिससे बीज उत्पादन/वितरण प्रणाली पर नीति और प्रक्रिया में सुधार होता है।

राज्य कृषि विभागों, राज्य बीज निगम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा अन्य स्टॉक धारकों को उनके बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं, ताकि उनके द्वारा अपेक्षित फसलों और किस्मों को बीज उत्पादन श्रृंखला में जोड़ा जाए।

कृषि मंत्रालय ने उच्च पोषक तत्व मूल्य (न्यूट्री) अनाज और फोर्टीफाइड फसलों/किस्मों (न्यूट्री) अनाज और फोर्टीफाइड फसलों/किस्मों जिनमें जस्ता, लोहा और प्रोटीन आदि और सूक्ष्म पोषक तत्व के बीज उत्पादन को बीज उत्पादन श्रृंखला में लाने की सलाह भी दी है। तदनुसार, प्रबंधन ने बड़ी आबादी द्वारा खपत के लिए उपर्युक्त फसलों/किस्मों का उत्पादन करने के लिए बीज की आपूर्ति करके बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बीज उत्पादन श्रृंखला में ऐसी फसलों/किस्मों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया।

विभिन्न राज्यों की राजधानी का नियमित अंतराल पर दौरा किया जा रहा है और अपने राज्यों में ही किसानों को आपूर्ति के लिए ही राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित बीजों का उत्पादन करने पर राज्य कृषि विभागों के साथ चर्चा की जा रही है। ऐसा इस दृष्टि से किया गया है कि स्थानीय स्तर पर बीज का उत्पादन और बिक्री करने से परिवहन लागत में कमी आएगी और बीजों पर उत्पादन और बिक्री सब्सिडी का लाभ स्थानीय किसानों को मिलेगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य में एक नई शुरुआत की गई है जहां हिल (इंडिया) लिमिटेड ने संबंधित राज्य सरकार के साथ संबंधित राज्य कृषि विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सरकारों के साथ भी ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों में भी परिवहन लागत अधिक है।

प्रबन्धन हिल (इंडिया) लिमिटेड के बीज उत्पादन कार्यक्रम में विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ने के लिए विचार कर रही है, जिससे कृषि विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध बीज बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी को उपयोग किया जा सके तथा बीज उत्पादन को उनके खेतों में या आसपास के क्षेत्र में बीज उत्पादन किया जा सके और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित पूर्व खरीफ़/पूर्व रबी किसान मेलों विश्वविद्यालयों की सहायता से उनकी आपूर्ति की जा सके। यह प्रबंधन को बीज उत्पादन गतिविधियों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को शामिल नहीं करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार उत्पादित बीजों की गुणवत्ता को बीज उत्पादन/वितरण में विश्वविद्यालय के समर्थन के कारण किसानों से प्राथमिकता भी मिलेगी।

उपभोक्ता की संतुष्टि हमेशा प्रबंधन के लिए प्राथमिकता रही है। अतएव, यह देखने के लिए कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों तक पहुंच रहे हैं, हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादित सभी बीजों का हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आंतरिक परीक्षण किया जाता है।

3 जोखिम और चिंताएंः–

बीज व्यापार के खराब मौसम और मानसून पर अत्यधिक निर्भरता जैसे औसत बारिश में गिरावट, औसत तापमान में वृद्धि, देश के कई हिस्सों में सूखा आदि किसान की आय को कम कर रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य भी कृषि उत्पादों के रूकने अथवा गिरने और कम उत्पादन के लिए एक मुख्य मुद्दा है। जबकि कृषि रसायन के क्षेत्र में, किसानों को रसायनों के संबंध में कम ज्ञान होना एक बड़ा जोखिम और चुनौती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, मुख्य इनपुट के लिए चीन पर निर्भरता, मुद्रा की कीमतों में उतार–चढ़ाव, पेस्टिसाइड्स के खिलाफ नकारात्मक प्रचार आदि भी चिंता का विषय हैं।

4 आंतरिक नियंत्रण और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास कार्यों में दक्षता लाने, संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं उसकी प्रभावी निगरानी करने तथा लागू विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में प्रबन्धन द्वारा कार्यान्वित आंतरिक नियंत्रणों की एक पर्याप्त प्रणाली है। कंपनी ने लेखा परीक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए पेशेवरों को लगाया है, ताकि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और भी मजबूत हो जाए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत समस्त कार्यालयों, कारखानों और मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है।

लेखा परीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण परिवेश की पर्याप्तता की प्रभाविकता की समीक्षा करती है तथा कंपनी की जोखिम प्रबन्धन नीतियों एवं प्रणालियों को मजबूत बनाने संबंधी सिफारिशों सहित लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन का मॉनीटरन करती है।

5 परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी में गत वर्ष के दौरान हुई 432.66 करोड़ रु0 की तुलना में 11% (लगभग) की वृद्धि दर्ज करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान 478.24 करोड़ रु0 का सकल बिक्री टर्नओवर रहा। कर से पूर्व लाभ, मूल्यह्रास और ब्याज और कर 29.15 करोड़ रु0 है। जबकि गत वर्ष यह 26.47 करोड़ रु0 था। वर्ष के दौरान 3.41 करोड़ रु0 की तुलना में कर पश्चात 3.62 करोड़ रु0 का निवल लाभ हुआ।

6 मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में महत्वपूर्ण विकास नियोजित कार्मिकों की संख्या सहित।

दिनांक 31.03.2019 को कुल कार्मिक शक्ति 774 थी, जिसमें 258 कार्यपालक तथा 516 गैर–कार्यपालक थे। परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी तथा संपूर्ण व्यापार परिवेश को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कंपनी में सुस्थापित मानव संसाधन विभाग है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ संगठनात्मक आवश्यकताओं को सिंक्रनाइज़ करके वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा प्रणाली के माध्यम से पहचाना गया। कंपनी ने विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए

गए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

हमें यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी के कॉर्पोरेट इतिहास में श्रम अशांति के कारण एक भी कार्य दिवस की हानि नहीं हुई है।

7 पर्यावरणीय रक्षा एवं संरक्षण /प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय उर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण :

हिल ने पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पहले से ही कई उपाय कर लिए हैं। हमारी उद्योगमंडल यूनिट प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पुरस्कार जीतना शुरू हो गई है। निरूपित बहिःस्राव पानी का पुनर्चक्रण/कमी तथा पुनः उपयोग करके पानी का संरक्षण किया जा रहा है। कंपनी पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल फार्मूलेशनों को विकसित कर रही है। कंपनी सौर ऊर्जा छत परियोजनाओं को लगाने की संभावना को तलाश रही है।

8 सचेतक उपाय

कंपनी के उद्देश्य, परियोजनाओं, अपेक्षाओं और अनुमानों के बारे में प्रबन्धकीय विचार–विमर्श एवं विश्लेषण में उल्लेख किया गया है। कंपनी का प्रदर्शन बाहरी कारणों जैसेः– मानसून, सरकार की नीतियों में परिवर्तन, आर्थिक कारकों आदि, जो आपकी कंपनी में संचालन को प्रभावित कर सकते हों पर भी निर्भर करता है।

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट
फार्म क
ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में विवरणों के प्रकटीकरण का प्रपत्र

	विवरण	यूनिट	2018–19	2017–18
क	**विद्युत एवं ईंधन की खपत**			
1	**बिजली**			
	कुल यूनिट	केडब्ल्यूएच	8031996.00	10305200.00
	कुल राशि	रु0	65046941.21	82149471.00
	दर/यूनिट	रु0	8.10	7.97
2	**फर्नेस तेल**			
	मात्रा	कि.ली.	529.88	620.11
	कुल राशि	रु0	19200292.90	16091301.00
	दर/कि.ली.	रु0	36234.97	25949.11
3	**ईंधन तेल (एचएसडी)**			
	मात्रा	कि.ली.	52.34	29.26
	कुल राशि	रु0	3491416.00	1485626.00
	दर/कि.ली.	रु0	66710.28	50766.33
4	**प्राकृतिक गैस**			
	मात्रा	एम.एम.बी.टी.यू.	70047.00	72153.00
	कुल राशि	रु0	64860202.00	57469374.00
	दर/कि.ली.	एम.एम.बी.टी.यू.	925.95	796.49
ख	**उत्पादन की प्रति यूनिट खपत**			

	विवरण	यूनिट	2018–19	2017–18
1	**डी.डी.टी तकनीकी**			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1125.00	1924.00
	फर्नेस तेल	लीटर	43.32	18.95
2	**डी.डी.टी फार्मुलेशन**			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	742.00	2080.50
3	**मैलाथियॉन तकनीकी**			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1198.00	1816.00
	फर्नेस तेल	लीटर		
	गैस	एम.एम.बी.टी.यू.	7.41	5.06
4.	**मोनोक्रोटोफॉस तकनीकी**			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1258.00	1673.00
	फर्नेस तेल	लीटर		
	गैस	एम.एम.बी.टी.यू.	33.28	26.45
5	**मोनोक्रोटोफॉस फार्मुलेशन**			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	35.00	32.00
6	**डाइकोफॉल तकनीकी**			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	2545.00	6584.00
	फर्नेस तेल	लीटर	1.13	0.92
7	**डाइकोफॉल फार्मुलेशन**			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	36.00	43.00
8	**मैंकोजेब**			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1903.00	1494.00
	फर्नेस तेल	लीटर		0.17
	ईंधन तेल (एच.एस.डी)	लीटर	0.21	0.21

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट

फार्म ख

प्रौद्योगिकी के आमेलन से संबंधित विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. **विशेष क्षेत्र जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया।**

   क. इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास के विकसित रेसिपी के साथ पेंडीमेथलीन तकनीकी और फॉर्मूलेशन, ग्लाईफोसेट तथा मैंकोजेब की गुणवत्ता को भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन के अनुसार प्रक्रिया का अद्यतन किया गया है।

   ख. इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित प्रक्रिया के साथ बहते पानी से कीटनाश्क अवशेष और रंग का निष्कासन।

   घ. प्रयोगशाला तथा पॉयलट–प्लांट स्तर पर इन हाउस अनुसंधान एवं विकास द्वारा वाणिज्य स्तर तक प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्लांट ट्रायल में विनिर्माणन यूनिटों का सहयोग करना।

2. **उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ**

   क. सभी उत्पादों की प्रक्रिया का अनुकूलन।

   ख. तकनीकियों के लिए अपने फार्मुलेशनों को विकसित करना।

3. **कार्यकलाप की भावी योजना।**

   (क) इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास द्वारा मोनोक्रोटोफोस फॉर्मूलेशन के लिए संश्लेषण का लागत प्रभावी मार्ग विकसित किया गया है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

   (ख) क्लोरपायरीफोस और इमिडाक्लोप्रिड तकनीकी के लिए संश्लेषण के लागत प्रभावी मार्ग को विकसित करने के लिए विश्लेषण आरम्भ किया गया।

   (ग) डीडीटी के लिए वैकल्पिक नए अणु का विकास करना। पायलट पैमाने पर अध्ययन आरंभ और पेटेंट के लिए आवेदन किया गया।

   (घ) विभिन्न कृषि योगों में उपयोग किए जाने वाले नए सॉल्वैंट्स, फिलर्स, इमल्सीफायर और अन्य कच्चे माल को प्रतिस्थापित करने के लिए अध्ययन जारी रखना, जो हमारे उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी हैं।

   (ङ) प्रवाह ट्रीटमेंट प्रक्रिया में जीरो डिस्चार्ज प्राप्त करना।

   (च) एल.ई.डी. लाइट्स, सोलर पावर प्लांट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फ्यूल गैस में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके ऊर्जा की खपत को कम करना।

   (छ) गुणवत्ता के अनुरक्षण और विभिन्न उत्पादों की व्यावसायिक स्तर की गतिविधियों के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु हमारी विभिन्न यूनिटों में प्रक्रिया संबंधी समस्याओं का निरंतर अध्ययन।

फार्म ग

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

i) निर्यात से संबंधित गतिविधियों, निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयास, उत्पादों एवं सेवाएं तथा निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजार का विकास। कंपनी, एक जी.एल.पी. प्रयोगशाला के माध्यम से कीटनाशकों के दो महत्वपूर्ण तकनीकी ग्रेडों नामतः मैलाथियॉन 95% तकनीकी तथा मैंकोजेब 80% डब्ल्यू.पी. का तकनीकी डाटा जेनेरेट करती है जिससे कंपनी प्रत्यक्ष रूप से इन रसायनों को आयातित देशों के साथ पंजीकृत कर सकती है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने दक्षिण अफ्रीकी देशों में डी.डी.टी 75% डब्ल्यू.पी. 128 मी.ट., अफ्रीकी तथा लैटिन अमरीकी देशों में मैंकोजेब 80% डब्ल्यू.पी.– 19 मी.ट. और मैलाथियॉन 95% तकनीकी 16 मी.ट. निर्यात किया है। कंपनी ने 66 मी.ट. मैलाथियान 95% तकनीकी का निर्यात किया है जो कि भारतीय रुपये में तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया है।

ii) कुल विदेशी मुद्रा से आय एवं व्ययः–

	(रु0 करोड़ में)
विदेशी मुद्रा आय	10.12
विदेशी मुद्रा व्यय	23.58

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय सूचना देने की प्रति के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, स्वतन्त्र लेखा–परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत अपने विचार प्रकट करने के उत्तरदायी है। यह दिनांक 12 सितम्बर 2019 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण का अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत एक पूरक लेखा परीक्षा नहीं की है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता. / –
(प्राची पांडे)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – I I
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.09.2019

फॉर्म सं0 एम.जी.टी. – 9

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथ कंपनीज़ (प्रबन्धक एवं प्रशासनिक) नियम, 2014 क नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण संख्या एवं अन्य विवरण

i)	सी.आई.एन.	U24211DL1954GOI002377
ii)	पंजीकरण की तिथि	03.11.54
iii)	कंपनी का नाम	हिल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड)
iv)	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	कंपनी लिमिटेड शेयर द्वारा (सरकारी कंपनी)
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	द्वितीय तल, कोर–6, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोदी रोड नई दिल्ली – 110003 ई–मेलः hq@hil.gov.in, hilheadoffice@gmail.com
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कंपनी का मूल कारोबार गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार के 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां बताई जाएंगीः–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं सेवाओं का विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एन.आई.सी. कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	डी.डी.टी., कृषि रसायन एवं बीज उत्पादन एवं विपणन		100%

III. स्वामित्व, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों का विवरणः

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सी.आई.एन./जी.एल.एन.	स्वामित्व/सहायक/संबद्ध कंपनी	रखे गए शेयर का :
1	सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि. **(02.04.2002 को बंद करने के आदेश हुए)**	यू24110जी1980,सजीसी002641	सहायक	76%

IV. शेयरधारिता स्वरूप

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के नाते संपूर्ण शेयरधारिता भारत के राष्ट्रपति के नाम है।

V. ऋणग्रस्तता

219 करोड़ रु0

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
एस.पी. मोहन्ती
(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
डी.आई.एन : 05336787

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण

हिल (इंडिया) लिमिटेड
सी.आई.एन : यू24211डीएल1954जीओआई1002377

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने हिल (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि लेखा, उस वर्ष की नकद प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां, विशिष्ट लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित हैं, जिनमें प्रधान कार्यालय, अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलैक्स, बठिंडा यूनिट, और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय चण्डीगढ़ (उत्तर) की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई और रसायनी यूनिट तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय पुणे एवं अहमदाबाद की लेखा परीक्षा मैसर्ज ए.पी.जे. काला एण्ड एसोसिएट्स–मुम्बई द्वारा, अलवॉय यूनिट तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय हैदराबाद एवं कोयम्बटूर की लेखा परीक्षा मैसर्ज अब्राहम थॉमस एण्ड कंपनी – कोच्चि द्वारा और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, कोलकाता की लेखा परीक्षा मैसर्ज बंधोपाध्याय एण्ड दत्त–कोलकाता द्वारा की गई है, जिन्हें भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट पर हमारी रिपोर्ट तैयार करने हेतु विचार किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप किए जाने के साथ एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। 31 मार्च 2019 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका लाभ और इसका नकदी प्रवाह होता है।

राय का आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एस.ए.) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा खंड में किया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मुद्दे

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णयों में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

मामले का पूर्व प्रबलन

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:–

क. वस्तुसूचियां

क) निपटान वर्ष में बेकार/क्षतिग्रस्त सामग्रियों पर लाभ/हानि के संबंध में नीति सं0–7 लेखांकन मानक–2 (मांग–सूचियों का मूल्यांकन) के अनुरूप नहीं है। लाभप्रदत्ता और मांग–सूची मूल्य को बढ़ाकर/घटाकर लिखने के इस अनुपालन के प्रभाव का प्रबंधन द्वारा आवश्यक सूचना उपलब्ध न कराए जाने के कारण पता नहीं लगाया जा सका।

ख) टिप्पणी सं0–16 के अनुसार, मांग–सूची में 517.49 लाख रुपए (गत वर्ष के अनुसार 521.13 लाख रुपए) मूल्य के भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, कच्चा माल एवं पैकिंग सामग्री सम्मिलित है जिसे तीन वर्षों से नहीं उठाया गया है। इस के लिए 252.21 लाख रु0 का प्रावधान किया गया है परन्तु शेष राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें प्रबंधन द्वारा उपयोगी/प्रयोज्य माना जाता है।

ग) तैयार सामान/कच्चे माल/पैकिंग सामग्री की अन्तिम मालसूची में ऐसी सामग्री शामिल है, जो प्रयोग करने योग्य नहीं है और बिक्री से पहले पुनर्वेधीकरण की आवश्यकता है। पुनर्वेधीकरण के लिए शामिल अनुमानित लागत निश्चित नहीं है और इसलिए प्रदान नहीं की गई है।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

हुड्डा ने कंपनी द्वारा आयोजित क्षेत्र 20 उद्योग विहार, गुरूग्राम में 58 एकड़ जमीन के संबंध में 2 जून, 2017 को एक पुनरूद्धार आदेश जारी किया था और कहा कि भूमि के संबंध में 09.06.2017 को एक बेदखल आदेश के साथ इसका पालन

किया गया। कंपनी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरूद्धार आदेश को चुनौती दी। माननीय न्यायालय ने हुड्डा द्वारा जारी किए गए बहाली आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की है कि जब मामला सुनाया जाएगा या सुलझाया जाएगा उस समय सड़क के विस्तार के लिए अधिग्रहित क्षेत्र के संबंध में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। हुड्डा द्वारा अधिग्रहित वास्तविक राशि की राशि और माप के लिए अंतिम संचार, उक्त भूमि के संबंध में कोई लेखांकन उपचार नहीं किया गया है। इसके पश्चात उपरोक 58 एकड़ जमीन में से 1.20 एकड़ जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा मुआवजे के भुगतान द्वारा अधिग्रहित करना प्रस्तावित है। चूंकि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, कोई लेखांकन उपचार नहीं किया गया है।

ग. प्राप्य व्यापार

टिप्पणी सं0 –17, 7819.86 लाख रु0 (गत वर्ष 5101.63 लाख रु0) विविध देनदार बकाया के लिए तीन वर्ष से अधिक के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रबंधन का मानना है कि मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है जहां वसूली की संभावना दूर है।

ग. अन्य वर्तमान परिसंपतियां

क) 1992–93 से उद्योगमंडल इकाई में वसूली योग्य बिक्री कर दावे 25.34 लाख अग्रेषित किया जाता है। दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तथापि सामजंस्य के लिए प्रावधान 4.30 लाख रु0 के लिए प्रावधान किए गए हैं।

ख) व्यापार प्राप्तियों के अन्तर्गत बकाया, बीमा दावे प्राप्तियां, ऋण और अग्रिम, अन्य मौजूदा परिसंपत्तयां, व्यापार देनदारियां और अन्य वर्तमान देनदारियों पुष्टि/पुन समायोजन के अधीन हैं। ऐसी पुष्टि/लेखा समाधान, यदि कोई हो, पर परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, सुनिश्चित नहीं हो सकता है।

ग) 73.18 लाख रु0 का अग्रिम कर, जो स्पष्ट नहीं हैं और पूर्व अवधि के संबंध में समायोजन के अधीन है और गत वर्ष के 27.06 लाख रु0 जिन्हें चालू वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में प्रभारित नहीं किया गया है।

ङ. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

टिप्पणी सं. 13 दीर्घावधि ऋण और अग्रिम– ऋण और तीन वर्ष से अधिक के लिए वसूली योग्य बकाया राशि 361.64 लाख रु0 (पिछले साल 296.06 लाख रु0) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके प्रावधान की आवश्यकता अभिनिश्चेय नहीं है।

च. सांविधिक अनुपालन

क. कुछ लेनदार 6 माह से अधिक की औसत अवधि के लिए बकाया हैं, जिसके लिए कंपनी ने जी.एस.टी. का इनपुट प्राप्त किया है, परन्तु जी.एस.टी. अधिनियम के अनुसार कोई भी पंजीकृत व्यक्ति किसी भी इनपुट टैक्स के क्रेडिट का हकदार नहीं होगा, जिसके लिए 180 दिनों की अवधि के भीतर आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और पहले से दावा की गई किसी भी राशि को 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। इसलिए कंपनी द्वारा दावा किया गया इनपुट क्रेडिट जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, कुछ मामलों में निर्धारित किया जाना चाहिए और जी.एस.टी. रिटर्न के तहत लौटा दिया जाना चाहिए और उक्त राशि पर 18% ब्याज प्रति वर्ष भी देय होगा। यह गतिविधि कंपनी द्वारा नहीं की गई है और कंपनी द्वारा ब्याज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. बिक्री कर/जी.एस.टी./सेवा कर रिटर्न समाधान एवं परिशोधन के अधीन है।

ग. जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट प्राप्य खाता दाखिल किए गए रिटर्न और उसके सुधार के साथ सामंजस्य के अधीन है। इसके कारण, वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है।

घ. जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट प्राप्य खाता जी.एस.टी.आर. 2ए के साथ सामंजस्य के अधीन है।

ङ. जुलाई, 2019 के दौरान रसायनी यूनिट को प्राप्त दिनांक 28.02.2019 के आदेश अनुसार यूनिट द्वारा की गई सी.एस.टी. अपील जिसे बिक्री कर आयुक्त ने अनुमति नहीं दी थी के विरूद्ध। यूनिट ने 66.95 लाख रु0 और यूनिट के परामर्श से इस देयता के लिए 31.03.2019 तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

च. कंपनी ने एम.एस.एम.ई. लेनदार बिक्री के कोई ब्याज प्रावधान नहीं किए हैं, जो 45 दिनों से अधिक हों। नोट 31 पैरा 12 को संदर्भ लें। (खातों पर अतिरिक्त टिप्पणी)

छ. 31 मार्च 2019 तक देय व्यय के लिए देयता पर आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कुछ मामलों में स्रोत पर कर नहीं काटा गया है।

ज. कंपनी ने नियम 42 के अंतर्गत छूट के साथ साथ कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाली सामान्य इनपुट और इनपुट सेवाओं के क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया है। चूंकि, किसी भी प्रमाणित जानकारी की अनुपस्थिति में रिवर्स होने की सीमा का पता लगाया नहीं जा सका, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव प्रमाणित नहीं किया जा सका।

झ. कंपनी ने आई.एस.डी. के अंतर्गत आम इनपुट को आर.एस.

ओ. को वितरित नहीं किया है।

ञ. कंपनी ने कुछ लेन–देन में जी.एस.टी. के अंतर्गत जी.एस.टी. टी.डी.एस. के प्रावधानों को अनुसरण नहीं किया है।

छ. आय पर कर के लिए लेखांकन

क) कंपनी ने स्थगित कर की गणना के लिए लेखांकन मानक–22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' में दी गई आवश्यकता के साथ पालन नहीं किया है।

ख) वित्तीय विवरणों में बताए गए आयकर प्रावधान में कुल 25.81 लाख रु0 की सूचना दी गई है और इसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

ज. अन्य

क) बहुत पुरानी अवधि से संबंधित विक्रेता के प्राप्य व्यापार, प्रतिभूति जमा का शेष तथा बयाना जमा राशि का आंकलन करने की आवश्यकता है जैसा कि इसके संबंध में कि क्या देय राशि देय है या वापस की जा सकती है और अभी भी कंपनी में गतिविधि आरम्भ नहीं हुई है।

ख) वर्ष के दौरान कंपनी को अपनी सहायक कंपनी एस.पी.सी.एल. (सदर्न पेस्टिसाइड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से 2.25/– लाख रु0 का लाभांश प्राप्त हुआ है, कृपया खातों पर टिप्पण का टिप्पण 7 (ए) (बी) देखें।

हमारी राय केवल उक्त शाखा लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य मामले

हमने कम्पनी के वित्तीय विवरणों में शामिल सात अन्य इकाइयों/क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों अर्थात रसायनी विनिर्माण इकाई, उद्योगमंडल विनिर्माण इकाई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद एवं कोयंबटूर में स्थित क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के वित्तीय विवरण/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/सूचना से दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 42427.41 लाख रुपए की कुल परिसम्पत्तियों और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में दिए गए अनुसार 39739.26 लाख रू. कुल राजस्व प्रतिबिम्बित होता है। इन इकाइयों/क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा–परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं और जहां तक शाखाओं में निहित राशियों और उनके प्रकटन का संबंध है, हमारी राय केवल ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आधारित है। इस विषय पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं आया है।

वित्तीय विवरण और उससे सम्बन्धित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

अन्य सूचना को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल सूचना, निदेशक की रिपोर्ट के संलग्नक सहित निदेशक की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचना निहित होती है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरण पर दी गई हमारी राय में अन्य सूचना कवर नहीं होती है और हम इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अंतिम आश्वासन भी व्यक्त नहीं करते हैं।

जहां तक वित्तीय विवरणों संबंधी हमारी लेखा परीक्षा का संबंध है, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है और ऐसा करते समय, देखते हैं कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के अनुरूप है अथवा हमारे लेखा परीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में दी गयी जानकारी गलत ढंग से प्रस्तुत की गई है तो हमारे द्वारा उस तथ्य की जानकारी देना अपेक्षित होता है। इस संबंध में देने के लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है, जोकि वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष वर्णन करती है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए लेखांकन अभिलेखों का समुचित रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन करना; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने तथा ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हो जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दे तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण गलत ढंग से सूचना प्रस्तुत नहीं करे।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी के लाभकारी कारोबार वाली इकाई प्रतिष्ठान बने रहने की योग्यता का आंकलन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, यथा लागू, उन्नतिशील

व्यवसाय प्रतिष्ठान से संबंधित मामले एवं जब तक प्रबंधन कंपनी को बंद करने या प्रचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता हो अथवा इसके अलावा और कोई विकल्प नही बचा हो तब तक लेखांकन के उन्नतिशील व्यवसाय–प्रतिष्ठान आधार का प्रयोग करता है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं दिया गया है और यह पूर्णतया सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल होती है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में हमेशा वित्तीय विवरण में हुई त्रुटियों का पता लग जाएगा। वित्तीय विवरण में खामी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे बड़ी गलती माना जाएगा यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त ढंग से प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखा परीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों में दिए गए गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आंकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, तथा उन जोखिमों के लिए प्रभावशाली लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय बनाने में पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करे। वित्तीय विवरण में धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली गलती का पता नहीं लगाने पर होने वाला जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलती के जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतीकरण, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हमें इस बात पर भी अपना राय व्यक्त करनी होती है कि क्या कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और ऐसे नियंत्रणों का संचालन प्रभावशाली तरीके से होता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों और उससे संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग किए गए उन्नतिशील व्यवसाय–प्रतिष्ठान आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई ऐसी भारी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के उन्नतिशील व्यवसाय–प्रतिष्ठान बने रहने की क्षमता पर पर्याप्त सन्देह उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भारी अनिश्चितता है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करना होगा अथवा यदि हमारे राय को बदलने में इस तरह का प्रकटन अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी के उन्नतिशील व्यवसाय–प्रतिष्ठान बने रहने पर सवालिया निशान खड़ा कर सकती हैं।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और यह पता करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाया गया है जो निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है।

वित्तीय विवरण में गलत विवरण की मात्रा के कारण व्यक्तिगत रूप से या समेकित रूप से यह संभावना बनती है कि इससे वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन; और (ii) वित्तीय विवरणों में पाए गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

अन्य मामलों में, हम लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध दायरे एवं समय और लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित प्रमुख लेखा परीक्षा निष्कर्षों की जानकारी संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रदान करते हैं।

संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने निष्पक्षता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं

का अनुपालन किया है, और हमारी निष्पक्षता पर प्रभाव डालने योग्य सम्भाव्य सभी सम्बन्धों और अन्य मामलों, तथा, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का विवरण भी प्रदान करते हैं।

संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को संप्रेषित मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि अन्यथा कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण की मनाही नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणामों के फलस्वरूप सार्वजनिक हित लाभ के प्रभावित होने की यथोचित सम्भावना है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार जारी कंपनीज (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2016) आदेश 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित अनुसार आदेश के पैरा 3 और 4, कंपनी पर लागू सीमा तक विनिर्दिष्ट मामलों पर ''संलग्नक क'' में विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त ''एम्फेसिस ऑफ मैटर'' पैरा में बताए गए विषय के साथ पढ़ी गई हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि के अनुसार यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिकाएं रखी गई हैं जैसा कि इन लेखा पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है ।

(ग) विविध शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षित कंपनी की इकाइयों/आरएसओ की लेखा संबंधी रिपोर्ट हमें भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उस पर भलीभांति कार्रवाई की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण शाखाओं से प्राप्त लेखा पुस्तिकाओं से मेल खाते हैं।

(ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण प्रासंगिक नियमों सपठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है।

(च) 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों जो निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित किए गए, के आधार पर 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार नियुक्त के लिए अयोग्य नहीं पाया गया।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी परिचालन के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट ''अनुबंध ग'' में देखें। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

(ज) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या – 31 देखें,

ii. कंपनी के पास डेरिवेट कॉन्ट्रैक्ट्स सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिसके लिए किसी महत्वपूर्ण नुकसान का अनुमान लगाया जा सके।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए अपेक्षित राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं की गई।

कृते गुप्ता रुस्तागी और अग्रवाल
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं. 008084छ)

एस.सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता संख्या 086839
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 12 सितंबर, 2019
यूडीआईएनः 19086839AAAAAI1147

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक – क

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के सदस्यों को उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियात्मक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें, इस संबंध में हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

(i) इसकी अचल परिसम्पत्तियों के संबंध में

(क) कंपनी ने अलवॉय शाखा, जहाँ नियत परिसंपत्तियों की न तो संख्या और न ही स्थान का पता चला है, को छोड़कर नियत परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरणों और मात्रात्मक विस्तृत ब्यौरों एवं स्थिति को दर्शाते हुए यथोचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) जैसाकि हमें स्पष्ट किया है, अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसमें, हमारी राय में प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय चण्डीगढ़ के मामलों को छोड़कर सभी अचल परिसंपत्तियों के युक्ति संगत अंतरालों पर प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त सत्यापन में कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई जांच और हमें प्रदान किए गए पंजीकृत बिक्री विलेख/अंतरित विलेख/हस्तांतरण विलेख की जांच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख को शीर्ष विलेख, भूमि और अधिगृहित इमारतें, जो फ्रीहोल्ड हैं तथा सभी अचल परिसम्पत्तियां कंपनी के नाम पर हैं। तथापि, वर्ष के दौरान, कंपनी की सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुरूग्राम में पूर्ण स्वामित्व की 58 एकड़ ज़मीन के संबंध में हुडा ने 02 जून, 2017 को एक पुर्नग्रहण आदेश जारी किया था और उसके पश्चात उपरोक्त ज़मीन के संबंध में दिनांक 09.06.2017 को एक बेदखली आदेश हुआ। कंपनी ने माननीय पंजाब और हरियाणा कोर्ट के समक्ष पुर्नग्रहण आदेश को चुनौती दी थी। माननीय न्यायालय ने हुडा को पुर्नग्रहण आदेश पर स्टे लगाया है इसलिए उपरोक्त ज़मीन मुकदमें के अधीन है और मामला न्यायाधीन है। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की है कि जब मामले सुनाया जाएगा या सुलझाया जाएगा उस समय सड़क के विस्तार के लिए अधिग्रहित क्षेत्र के संबंध में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। चूंकि सड़क विस्तार के लिए अधिग्रहित कुल क्षेत्र अभी तक निर्धारित नहीं है, इसलिए हुड्डा द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में कोई लेखांकन उपचार नहीं किया गया है।

(ii) माल सूची के संबंध में:

जैसाकि हमें सूचित किया गया है, तैयार माल, अर्ध निर्मित माल, भण्डार, अतिरिक्त पुर्जों तथा कच्ची सामग्रियों का प्रबन्धन द्वारा उचित अंतराल पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्टॉकों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान का बही के रिकॉर्डों से मिलान करने पर कोई विसंगति नही पाई गई।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत नहीं दिया है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश और दी गई गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार लागू हैं, का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

(vi) लागत रिकॉर्ड का रख–रखाव कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। हमने कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए लागत के रिकार्डों की विस्तृत समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत रिकार्ड तैयार करके रखे गए हैं। तथापि, यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या वे रिकार्ड सही अथवा पूर्ण हैं, हमने इन रिकार्डों की विस्तृत जांच नहीं की है।

(vii) सांविधिक देय राशियों के संबंध में:

(क) कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी सामान्यतः अविवादित सांविधिक देय राशियां, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.), आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर (वैट), उपकर, जी.एस.टी. तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों को नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करती आ रही है और जिस संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को वे राशियां देय होती हैं उस तारीख से 6 माह से अधिक अवधि तक कोई भी महत्वपूर्ण सांविधिक राशि बकाया नहीं है।

क्र.सं	विवरण	राशि (रु.)	देय मास
1.	जीएसटी (प्रधान कार्यालय)	8440677.55	सितम्बर 2018

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर अथवा बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर कोई विवादास्पद राशि देय नहीं है, निम्नलिखित को छोड़कर:–

क्र. सं.	संविधि का नाम	स्थान	बकाया वर्ग	राशि	अवधि जिससे राशि का संबंध है	फोरम जहां विवाद लंबित है
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	प्रधान कार्यालय	अंतर उत्पाद शुल्क पर ब्याज	30,204,515	2011–12 और 2012–13	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	अंतर उत्पाद शुल्क पर ब्याज	10,618,735	2003–04	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	प्रदत्त अतिरिक्त शुल्क के लिए धन वापसी की राशि	6,559,026	2005–06	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	क्या अनुदान आंकलन योग्य मूल्य का एक हिस्सा है	31,356,315	2005–06 से 2009–10	निर्णय कंपनी के विरूद्ध आया है, कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की हैं।
		प्रधान कार्यालय	अंतर उत्पाद शुल्क पर ब्याज	3,043,631	2003–04	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	प्रदत्त अतिरिक्त शुल्क के लिए धन वापसी की राशि	910,697	2011–12	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (ए)
2.	सेवा कर अधिनियम	प्रधान कार्यालय	सेवा कर के कम भुगतान पर ब्याज और जुर्माना और सेनवैट का गलत लाभ	1,187,471	2012–13 2013–14	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (ए)
		प्रधान कार्यालय	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ (अलवॉय	239,938	2009–10 से 2013–14	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त
3.	आय कर	प्रधान कार्यालय	अनुसूची 271 (1) सी के अधनी दंड का छूट	95,72,500	मूल्यांकन वर्ष 2006–07	आयुक्त (ए)
4.	वाणिज्यिक कर विभाग	प्रधान कार्यालय	एफ और सी फॉर्म न जमा करना (अलवॉय)	7,330,905	2013–14	अपीलीय प्राधिकारी

क्र. सं.	संविधि का नाम	स्थान	बकाया वर्ग	राशि	अवधि जिससे राशि का संबंध है	फोरम जहां विवाद लंबित है
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – कोलकाता	मूल्य वर्धित कर (पश्चिम बंगाल)	163,419	1997–98	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, उल्टाडंगा प्रभार
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – कोलकाता	मूल्य वर्धित कर (पाटलीपुत्र, पटना)	1,535,876 (प्रदत्त 3,07,176रु)	2013–14	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, उल्टाडंगा प्रभार
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – पुणे	मूल्य वर्धित कर (महाराष्ट्र)	113,319 (प्रदत्त 30,000रु)	2002–2003	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (अपील), नागपुर
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – पुणे	केन्द्रीय बिक्री कार्यालय (महाराष्ट्र)	68,705 (प्रदत्त 25,000)	वित्तीय वर्ष 2002–2003	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (अपील), नागपुर

(viii) हमारे विचार में और हमें दिए गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार बैंकों के ऋणों अथवा उधार की चूकौती में कंपनी ने कोई चूक नहीं की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण अथवा उधार नहीं ली है और न हीं कोई डिबेंचर जारी किया है। तथापि कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकार के आवधिक ऋण के भुगतान की शर्तों में चूक की है:

जिस वर्ष में चूक हुई	चूक की राशि (लाख में)
2011–12	499.00
2012–13	499.00
2013–14	580.00
2014–15	580.00
2015–16	562.00
2016–17	382.00
2017–18	382.00
2018–19	300.00
कुल	3,784.00

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक आफॅर से या आगामी पब्लिक आफॅर (ऋण साधन सहित) के जरिए धनराशि नहीं जुटाई है।

(x) हमारी उत्कृष्ट जानकारी तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान सामग्री में कोई धोखाधड़ी करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(xi) चूंकि कंपनी सरकारी कंपनी है, अतः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं0 जी. एस.आर. 463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित खण्ड 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खण्ड (xi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खण्ड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xiii) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 का पालन करती है जहा लागू है

संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पार्टी के लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों में अपेक्षित है।,

(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं लिए हैं।

(xv) हमारे विचार में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों या उन से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते गुप्ता रुस्तागी एंड अग्रवाल
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 008084 एन)

एस. सी. गुप्ता
भागीदार
(सदस्यता सं0 086839)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 सितम्बर 2019

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा संख्या 143 (5) के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2018–19 के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड के स्वतत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रिपोर्ट संलग्नक–ख

वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत दिए गए निर्देशः

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताएं।

   वित्तीय लेखांकन, बिक्री लेखा, वेतन रोल, सामग्री/वस्तुसूची प्रबन्धन आदि जैसे संगठन के प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और डेटा को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किया गया है। सूचना प्रसंस्करण को पूर्ण रूप से एकीकृत और केंद्रीकृत करने के लिए कंपनी ने एस.ए.पी. लागू किया है।

2. क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्संरचना या ऋण/कर्ज/ब्याज छूट/हानि स्वीकारना आदि का मामला हैं ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बतायें।

   हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कपंनी के ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्संरचना या ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि छूट के मामले नहीं हैं।

3. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का उनके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया है ? विचलन के मामलों की सूची।

   कंपनी को (i) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से बागवानी एकीकृत विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) पर केन्द्रीय प्रायोजक योजना/हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना के अन्तर्गत एन.एच.एम. (ii) वनस्पति संरक्षण एवं वनस्पति संगरोध (एस.एम.पी.क्यू.) पर समर्पित योजना के अंतर्गत वनस्पति संरक्षण –I विभाग से और (ii) रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से सहायता प्राप्त हुई है, जिनका नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है।

कृते गुप्ता रूस्तागी एवं अग्रवाल
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 008084 एन)

एस.सी. गुप्ता
भागीदार
(सदस्यता सं0 086839)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 सितम्बर, 2019

हिल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र–लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (''अधिनियम'')

हमें 31 मार्च, 2019 के अनुसार इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के अनुसार **हिल (इंडिया) लिमिटेड (''कंपनी'')** की वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा–परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड की तुलना में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को व्यवस्थित करने और दक्ष आचरण सुनिशचित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की पर्याप्तता और पूर्णतः तथा कपंनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल था।

लेखा–परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी है वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक, जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार संचालित हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा–परीक्षा के लिए लागू है और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस प्रकार से योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें कि यह आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो सके और सभी महत्वपपूर्ण मामले कारगर ढंग से संचालित हों।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम जो कि एक महत्वपूर्ण दोष महो का आकंलन करना, और आंके गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण तथ्यों की गलतबयानी के जोखिम के आकंलन शामिल हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रूपरेखा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर लेखांकन सिद्धांत के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः

(1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत ब्यौरा के आधार पर कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को उचित और सही ढंग से प्रदर्शित करता है;

(2) तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराता है कि लेनदेन को सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकता अनुसार रिकार्ड किया जाता है, तथा यह कि

कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अर्जन का समय पर पता लगाने, उपयोग तथा निपटान करने के लिए उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराना, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिली भगत या अनुचित प्रबंधन अध्यारोहण की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए समय–समय पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के आकलन जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रियाएं खराब हो सकती हैं।

मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी राय के आधार पर कंपनी ने आम तौर पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को आम तौर पर 31 मार्च, 2018, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स भारत द्वारा जारी किए गए 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन सूचना' में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है विशेष रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा, परिसंपत्ति की पहचान, देनदारों की वसूली की निगरानी। सूचना के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अंतर विभाग समन्वय में वृद्धि, ताकि कंपनी में स्थापित नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। हालांकि, हमारी राय उपरोक्त संबंध में अपेक्षित नहीं है।

कृते गुप्ता रूस्तागी एवं अग्रवाल
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 008084 एन)

एस.सी. गुप्ता
भागीदार
(सदस्यता सं0 086839)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 सितम्बर, 2019
यू.डी.आई.एन. : 19086839AAAAAI1147

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिल के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबन्धन का जवाब

	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
	लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मामलों की अवधारणा	
1.	**वस्तुसूचियां**	
	क) निपटान के वर्ष में लेखांकन नीति संख्या 7 अनावश्यक/क्षतिग्रस्त सामग्री पर लाभ/हानि की मान्यता के संबंध में लेखांकन मानक–2 (वस्तुसूचियों का मूल्यांकन) के अनुरुप नहीं है। प्रबन्धन द्वारा प्रदान की गई आवश्यक जानकारी की अनुपस्थिति के कारण अव/अति कथन लाभप्रदता और वस्तुसूची पर इस गैर–अनुपालन का प्रभाव पता नहीं लग पाया है। ख) नोट सं0– 16 वस्तुसूचियां – 517.49 लाख रु0 (गत वर्ष 521.13 रु0) के भंडार और अतिरिक्त, कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री तीन वर्ष से अधिक समय के लिए संचलन में नहीं हैं। इसके संबंध में शेष राशि के लिए 252.21 लाख रु0 का एक प्रावधान किया गया है, जैसा कि इसे प्रबन्धन द्वारा सेवा योग्य/उपयोगी समझा गया है। ग) तैयार माल/कच्ची सामग्री की अन्तिम सूची में ऐसी सामग्री सम्मिलित है जो उपयोग योग्य नहीं और बिक्री से पहले पुनर्वेधीकरण की आवश्यकता है। पुनर्वेधीकरण के लिए सम्मिलित अनुमानित लागत का पता नहीं लगा है और इसलिए प्रदान नहीं किया गया है।	वस्तुसूची की आयु एकमात्र मापदंड नहीं है कि स्टॉक काम में लाने योग्य/उपयोगी है या नहीं। जहां काम में न लाने योग्य/अनुपयोगी के लिए प्रावधान आवश्यक है, उसे लेखा पुस्तकों में रखा जाता है।
2.	**संपत्ति, संयंत्र उपकरण** कंपनी द्वारा सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुरूग्राम में 58 एकड़ जमीन के संबंध में 2 जून, 2017 को एक पुनरारंभ आदेश जारी किया था और इसके अनुसरण उपरोक्त भूमि के संबंध में 09.06.2017 को एक निष्कासन आदेश जारी किया गया था। कंपनी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आबंटन के निरस्तीकरण आदेश को चुनौती दी है। माननीय न्यायालय ने हुड्डा द्वारा जारी किए पुनरारंभ आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी पुष्टि की है कि उस समय सड़क के विस्तार के लिए अधिग्रहित क्षेत्र के संबंध में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, जब मामला सुनाया जाएगा या सुलझाया जाएगा। हुड्डा द्वारा अधिग्रहित वास्तविक राशि की राशि और माप के लिए अंतिम संचार, उक्त भूमि के संबंध में कोई लेखांकन उपचार नहीं किया गया है। इसके पश्चात उपरोक 58 एकड़ जमीन में से 1.20 एकड़ जमीन भरतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा मुआवजे के भुगतान द्वारा अधिगृहित करना प्रस्तावित है। चूंकि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, कोई लेखांकन उपचार नहीं किया गया है।	इस तथ्य विवरण के लिए अलग से टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
3.	**प्राप्य व्यापार** नोट सं0 17 प्राप्य व्यापार– तीन वर्ष से अधिक के लिए 7819.86 लाख रु0 (गत वर्ष 5101.63 लाख रु0) की संड्री देनदारों की बकाया राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रबन्धन का यह मानना है कि मामले के आधार पर प्रावधान किए गए हैं, जहां वसूली की संभावना कम हो।	ऋण की आयु यह तय करने का एकमात्र मानदंड नहीं है कि ऋण संदिग्ध है या नहीं। विश्वसनीयता, पार्टी की मार्किट प्रतिष्ठा, विपणन कर्मचारियों से प्रतिपुष्टि और वसूली की संभावना के विभिन्न कारक यह तय करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं कि क्या ऋण को अशोध्य और संदिग्ध माना जाना चाहिए। व्यापार प्राप्तियों का समय–समय पर नियमित आधार पर समाधान किया जाता है। व्यापार देनदारियों और अन्य वर्तमान देनदारियों के संबंध में, पुष्टि प्राप्त करने के लिए सिस्टम है, हालांकि लेनदारों से मामलों की संख्या प्राप्त नहीं होती है। तथाापि, बैलेंस पुष्टिकरण को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
4.	**अन्य चालू परिसम्पत्तियां** क) अलवॉय यूनिट के वसूली योग्य 25.34 लाख रु0 के बिक्री कर दावे 1992–93 से अग्रेनित किये गए हैं। दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तथापि शरूआती वर्षों में केवल 4.30 के लिए प्रावधान किए गए हैं। ख) प्राप्य व्यापार, बीमा दावा प्राप्तियां, ऋण और अग्रिम, मौजूदा संपत्ति, व्यापार देय और अन्य मौजूदा देनदारियों के तहत शेष राशि पुष्टि/समाधान के अधीन है। खातों पर ऐसी पुष्टि/सुलह, यदि कोई हो, पर परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव पता नहीं है। ग) 73.18 लाख रु0 का अग्रिम करं, जो स्पष्ट नहीं हैं और पूर्व अवधि के संबंध में समायोजन के अधीन है और गत वर्ष के 27.06 लाख रु0 जिन्हें चालू वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में प्रभारित नहीं किया गया है।	कार्रवाई के लिए नोट किया गया।
5.	**दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम** नोट सं0 13 दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम तीन वर्षो से अधिक के 361.64 लाख रु0 (गत वर्ष 296.06 लाख रु0) के ऋण एवं वसूली योग्य अग्रिम बकाया के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।	संदिग्ध/गैर वसूली योग्य ऋण और अग्रिमों पर टिप्पणियां केवल अनुमानों पर आधारित होती हैं। जहां भी संदिग्ध/गैर वसूली योग्य प्रावधान की आवश्यकता है, बही खातों में किया जाता है।
6.	**सांविधिक अनुपालन** क) कुछ लेनदार 6 माह से अधिक की औसत अवधि के लिए बकाया हैं, जिसके लिए कंपनी ने जी.एस.टी. का इनपुट प्राप्त किया है, परन्तु जी.एस.टी. अधिनियम के अनुसार	जीएसटी नया होने से व्याख्या में स्पष्टता की कमी के कारण यह नहीं हो पाया। तथपि, भविष्य में कार्रवाई के लिए नोट किया गया है।

	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति किसी भी इनपुट टैक्स के क्रेडिट का हकदार नहीं होगा, जिसके लिए 180 दिनों की अवधि के भीतर आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और पहले से दावा की गई किसी भी राशि को 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। इसलिए कंपनी द्वारा दावा किया गया इनपुट क्रेडिट जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, कुछ मामलों में निर्धारित किया जाना चाहिए और जी.एस.टी. रिटर्न के तहत लौटा दिया जाना चाहिए और उक्त राशि पर 18% ब्याज प्रति वर्ष भी देय होगा। यह गतिविधि कंपनी द्वारा नहीं की गई है और कंपनी द्वारा ब्याज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	
ख)	बिक्री कर/जी.एस.टी./सेवा कर रिटर्न समाधान एवं परिशोधन के अधीन है।	नोट किया गया, समाधान प्रक्रियाधीन है तथा जी.एस.टी. लेखा परीक्षा में इसका ध्यान रखा जाएगा।
ग)	जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट प्राप्य खाता दाखिल किए गए रिटर्न और उसके सुधार के साथ सामंजस्य के अधीन है। इसके कारण, वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है।	नोट किया गया, समाधान प्रक्रियाधीन है तथा जी.एस.टी. लेखा परीक्षा में इसका ध्यान रखा जाएगा।
घ)	जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट प्राप्य खाता जी.एस.टी.आर. 2ए के साथ सामंजस्य के अधीन है।	नोट किया गया, समाधान प्रक्रियाधीन है तथा जी.एस.टी. लेखा परीक्षा में इसका ध्यान रखा जाएगा।
ङ)	जुलाई, 2019 के दौरान, रसायनी यूनिट द्वारा प्राप्त दिनांक 28.02.2019 के आदेश के अनुसार यूनिट द्वारा की गई सी.एस.टी. अपील जिसे बिक्री कर आयुक्त ने अनुमति नहीं दी थी के विरूद्ध यूनिट ने 66.95 लाख रु0 और यूनिट के परामर्श से इस देयता के लिए 31.03.2019 तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	आदेश के विरूद्ध के अपील फाइल करने के लिए मामला अधिवक्ता के साथ देखा जा रहा है।
च.	कंपनी ने एम.एस.एम.ई. लेनदार बिक्री के कोई ब्याज प्रावधान नहीं किए हैं, जो 45 दिनों से अधिक हों। कर/जी.एस.टी./सेवा कर रिटर्न समाधान एवं परिशोधन के अधीन है। नोट 31 पैरा 12 को संदर्भ लें। (खातों पर अतिरिक्त टिप्पणी)	सभी एम.एस.एम.ई. विक्रेता जिन्होंनें निविदा तथा कंपनी क्रेडिट अवधि में भाग लिया है, जो कि 45 दिनों से अधिक है, तथापि किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
छ)	31 मार्च 2019 को देय खर्चो के लिए प्रदान की गई देयता पर आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्रोत पर कर काटा नहीं गया है।	कई मामलों में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को खर्चो की देयता अनुमानित आधार पर प्रदान की जाती है और व्यक्तिगत खाते में जमा नहीं की जाती है। इसलिए ऐसे मामलों के लिए भुगतान के समय कर जमा किया जाता है।
ज)	कंपनी ने नियम 42 के अंतर्गत छूट के साथ साथ कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाली सामान्य इनपुट और इनपुट सेवाओं के क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया है।	नोट किया गया, जी.एस.टी. के दौरान आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।

	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
	चूंकि, किसी भी प्रमाणित जानकारी की अनुपस्थिति में रिवर्स होने की सीमा का पता लगाया नहीं जा सका, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव प्रमाणित नहीं किया जा सका।	
	झ) कंपनी ने आई.एस.डी. के अंतर्गत आम इनपुट को आर.एस.ओ. को वितरित नहीं किया है।	कंपनी की नियमित प्रक्रिया के अनुसार, प्रधान कार्यालय के सभी व्यय केवल विनिर्माणन यूनिटों को वितरित किए जाते हैं। तथापि, समीक्षा हेतु नोट किया गया।
	ञ) कंपनी ने कुछ लेन–देन में जी.एस.टी. के अंतर्गत जी.एस.टी. टी.डी.एस. के प्रावधानों को अनुसरण नहीं किया है।	अनुपालन हेतु नोट किया गया।
7.	**आय पर करों के लिए लेखांकन**	
	क) कंपनी ने स्थगित कर की गणना के लिए लेखांकन मानक–22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" में दी गई आवश्यकता का पालन नहीं किया है।	संरक्षी लेखांकन अभ्यास के कारण कंपनी ने आस्थगित कर संपत्तियों पर विचार नहीं किया है। आय (ए.एस. –22) पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार गणना के आधार पर कंपनी के पास आस्थगित कर संपत्तियां हैं, जिन्हें व्यवहार कुशलता के अभ्यास के रूप में खातों में मान्यता प्राप्त नहीं है।
	ख) पूर्व वर्षों से संबंधित आय कर प्रावधान में 25.81 लाख रु0 हैं और जिन्हें समायोजित किया जाना अपेक्षित है।	कार्रवाई हेतु नोट किया गया।
8.	**अन्य**	
	क) बहुत पुरानी अवधि से संबंधित विक्रेता के प्राप्य व्यापार, प्रतिभूति जमा का शेष तथा बयाना जमा राशि का आंकलन करने की आवश्यकता है जैसा कि इसके संबंध में कि क्या देय राशि देय है या वापस की जा सकती है और अभी भी कंपनी में गतिविधि आरम्भ नहीं हुई है।	प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है तथा लेखों में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। तथापि, इसके आगे विवरणों की संवीक्षा चल रही गतिविधियों के अनुरूप समय–समय पर की जाएगी।
	ख) वर्ष के दौरान कंपनी को अपनी सहायक कंपनी एस.पी.सी.एल. (सदर्न पेस्टिसाइड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से 2.25/– लाख रु0 का लाभांश प्राप्त हुआ है, कृपया खातों पर टिप्पण का टिप्पण 7 (ए) (बी) देखें।	एस.पी.सी.एल. (सदर्न पेस्टिसाइड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) हिल की एक सहायक कंपनी थी जो अभी परिसमापन के अधीन है। वर्ष के दौरान परिसमापन लाभांश के रूप में 22.25 लाख रु0 प्राप्त हुए हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	**हस्ता./–**
(अंजन बनर्जी)	**(एस.पी. मोहन्ती)**
निदेशक (वित्त)	**अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक**
डी.आई.एन. 07761132	**डी.आई.एन. 05336787**

वित्तीय विवरण
2018-19

हिल (इंडिया) लिमिटेड
31 मार्च, 2019 का तुलन पत्र

सीआईएन–यू24211डीएल1954जीओआई002377 (₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
I	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1)	**अंशधारियों की निधि**			
क)	शेयर पूँजी	1	**9,133.24**	9,133.24
ख)	प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	**1,251.35**	888.92
2	**आबंटन के समय शेयर उपयोगी धन**			
3	**गैर चालू देयताएं**			
क)	दीर्घावधि ऋण	3	.	218.40
ख)	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	4	**890.45**	764.14
ग)	दीर्घावधि प्रावधान	5	**2,975.83**	2,869.14
4.	**चालू देयताएं**			
क)	अल्पावधि ऋण	6	**14,964.33**	16,517.79
ख)	व्यापार देय	7	**15,582.88**	12,628.67
ग)	अन्य चालू देयताएं	8	**12,702.71**	11,063.23
घ)	अल्पावधि प्रावधान	9	**662.21**	548.75
	जोड़		**58,163.00**	54,632.28
II	**परिसम्पत्तियाँ**			
1	**गैर वर्तमान परिसम्पत्तियाँ**			
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
i)	ठोस परिसम्पत्तियाँ	10	**5,050.44**	3,910.00
ii)	अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	11	**676.94**	753.53
iii)	पूँजीगत कार्य प्रगति पर		**1,361.02**	1,697.18
ख)	गैर वर्तमान निवेश	12	**5.20**	5.20
ग)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	**182.51**	184.02
घ)	अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	14	**114.62**	102.00
2	**चालू परिसम्पत्तियाँ**			
क)	वर्तमान निवेश	15	.	.
ख)	वस्तुसूचियाँ	16	**8,726.92**	8,427.61
ग)	प्राप्य व्यापार	17	**37,158.45**	35,192.82
घ)	नकद एवं नकद समतुल्य	18	**102.33**	303.69
ङ)	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	19	**976.52**	987.45
च)	अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	20	**3,808.05**	3,068.78
	जोड़		**58,163.00**	54,632.28
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	30		
	खातों के लिए अतिरिक्त नोट्स	31		

उपर्युक्त नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार गुप्ता रूस्तागी एण्ड अग्रवाल सनदी लेखापाल एफ आर एन : 008084एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. चट्टोपाध्याय)	(अंजन बनर्जी)	(एस.पी. मोहन्ती)	(एस. सी. गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित) एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
सदस्य संख्या : 29220	डीआईएन : 07761132	डीआईएन : 05336787	सदस्यता सं. 086839

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ – हानि लेखा

सीआईएन–यू24211डीएल1954जीओआई002377 (₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
	राजस्व			
	परिचालनों से राजस्व	21		
क	सकल बिक्री		**47,823.58**	43,265.95
घटाएं	उत्पाद शुल्क		.	142.91
	वस्तु एवं सेवा कर		**3,944.31**	3,250.21
	सी.एस.टी./वैट		.	53.36
	निवल बिक्री (क)		**43,879.27**	39,819.47
ख	अन्य परिचालन राजस्व			
	निर्यात लाभ		**29.26**	278.82
	बीज सहायिकी		**1,166.34**	361.55
	कुल (ख)		**1,195.60**	640.37
I	**परिचालनों से राजस्व (क+ख)**		**45,074.87**	40,459.84
II	अन्य आय	22	**534.23**	979.26
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**45,609.10**	41,439.10
IV	व्यय			
क)	खपत की गई सामग्री की कीमत	23	**26,883.84**	23,105.13
ख)	व्यापार में स्टॉक की खरीद		.	.
ग)	तैयार माल की वस्तुसूचियों, चालू कार्य तथा विक्रय स्टॉक में बदलाव	24	**362.05**	(110.46)
घ)	रोज़गार हितलाभ व्यय	25	**8,894.47**	9,371.59
ङ)	वित्त लागत	26	**1,849.41**	1,658.48
च)	मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	10	**601.04**	559.80
छ)	अन्य खर्च	27	**6,505.31**	6,350.37
	प्रधान कार्यालय एवं विपणन खर्च			
	कुल खर्च		**45,096.12**	40,934.91
ट	**असाधारण एवं असामान्य मद से पूर्व लाभ**		**512.98**	504.19
VI	पूर्व अवधि आय/(खर्च)	28	**(47.58)**	(58.01)
VII	असाधारण मद	29	.	(17.66)
VIII	**असाधारण मद से पूर्व लाभ**		**465.40**	428.52
IX	असामान्य मद		.	.
X	**कर से पूर्व लाभ**		**465.40**	428.52
XI	सतत परिचालनों के कर खर्च		**102.97**	87.74
XII	**सतत परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/हानि**		**362.43**	340.78
XIII	**असतत परिचालनों से लाभ/हानि**		.	.
XIV	**असतत परिचालनों पर कर खर्च**		.	.
XV	**कर पश्चात् असतत परिचालनों से लाभ/हानि**		.	.
XVI	**अवधि के लिए लाभ/हानि (कर पश्चात् लाभ)**		**362.43**	340.78
XVII	**प्रति शेयर बेसिक आय**		**40**	37
XVIII	**प्रति शेयर डिलूटड आय**		**40**	37
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		30	
	खातों के लिए अतिरिक्त नोट्स		31	

उपर्युक्त नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार गुप्ता रूस्तागी एण्ड अग्रवाल सनदी लेखापाल एफ आर एन : 008084एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. चट्टोपाध्याय)	(अंजन बनर्जी)	(एस.पी. मोहन्ती)	(एस. सी. गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित) एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
सदस्य संख्या : 29220	डीआईएन : 07761132	डीआईएन : 05336787	सदस्यता सं. 086839

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

नकद प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2019 को वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण (रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
1. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
परिचालनों से निधि		
क. कर तथा असाधारण मदों से पूर्व लाभ	**465.40**	**428.52**
ख. जोड़िए		
– आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश/उपदान/छुट्टी वेतन/बोनस/कर (निवल) के लिए प्रावधान	113.46	781.27
– ब्याज़ खर्च	1,849.40	1,658.48
– उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	.	(89.64)
– संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	110.54	135.74
– परिसम्पत्तियों/वस्तुसूचियां के बट्टे खाते पर हानि	.	137.27
– मूल्यह्रास	601.04	559.79
– असाधारण मद – पूर्व अवधि मूल्यह्रास	.	.
उप जोड़ ख	**2,674.45**	**3,182.93**
ग. घटाइएः		
– बैंक ब्याज	(1.12)	(0.29)
– स्टाफ एवं अन्य से ब्याज	(50.53)	(14.12)
– परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.03)	(0.52)
– प्रदत्त कर	(102.97)	(87.74)
– संदिग्ध ऋण दावे एवं अन्य वसूलियां/प्रतिलेखित किए गए	.	(1.30)
उप जोड़ ग	**(154.65)**	**(103.96)**
घ. कार्यशील पूँजी बदलावों से पूर्व परिचालन लाभ (क+ख+ग)	**2,985.19**	**3,507.49**
ङ. संचालन पूँजी बदलाव		
– वस्तुसूची में (वृद्धि)/कमी	(299.31)	270.25
– ट्रेड प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(1,965.63)	(11,761.73)
– अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	10.93	(926.46)
– अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(739.27)	(488.41)
उप जोड़ ङ	**(2,993.28)**	**(12,906.37)**
च. वर्तमान देयताओं में वर्ष)/(कमी)		
– देय व्यापार में वृद्धि/(कमी)	2,954.20	2,857.71
– अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	1,639.49	1,481.76
उप जोड़ च	**4,593.69**	**4,339.47**
छ. संचालन पूँजी में बदलाव (ङ+च)	**1,600.41**	**(8,566.90)**
प्रचालन गतिविधियों से नकदी (घ+छ)	**4,585.60**	**(5,059.41)**

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
2. निवेशन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
– स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री	0.03	12.30
– स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद/पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	(1,347.62)	(1,228.86)
– उपदान ट्रस्ट में निवेश	(310.34)	(1,085.64)
– बैंक ब्याज	1.12	0.29
– स्टाफ एवं अन्यों से ब्याज	50.53	14.12
– उपदान निधि पर ब्याज	325.38	385.58
– दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	1.51	278.04
– अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(12.62)	(78.11)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**(1,292.01)**	**(1,702.28)**
3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
– दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि/(कमी)	(218.40)	(382.00)
– अन्य दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/(कमी)	126.31	9.26
– अल्पवधि ऋणों में वृद्धि/(कमी)	(1,553.45)	5,092.14
– ब्याज़ खर्च	(1,849.40)	(1,658.48)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**(3,494.95)**	**3,060.92**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	(201.35)	(3,700.78)
नकद एवं नकद समतुल्य प्रारम्भिक शेष	303.69	4,004.47
नकद एवं नकद समतुल्य अन्तिम शेष	102.33	303.69

नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणी
नकद एवं नकद समतुल्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

	31.03.2019 तक (रु0 लाख में)	**31.03.2018 तक (रु0 लाख में)**
बैंक शेष	87.25	291.36
गारन्टी	12.77	12.05
लियन के अधीन एफ डी आर	2.24	.
पास मे चैक	.	.
पास में नकद	0.05	0.23
अन्य (स्टाम्प/पेशगी)	0.03	0.05
जोड़	**102.33**	**303.69**

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार गुप्ता रूस्तागी एण्ड अग्रवाल सनदी लेखापाल एफ आर एन : 008084एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. चट्टोपाध्याय)	(अंजन बनर्जी)	(एस.पी. मोहन्ती)	(एस. सी. गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित) एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
सदस्य संख्या : 29220	डीआईएन : 07761132	डीआईएन : 05336787	सदस्यता सं. 086839

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय विवरण टिप्पणियां

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 1ः शेयरपूँजी		
क) प्राधिकृत, निर्गमित, अभिद्धत तथा प्रदत्त शेयर और प्रति शेयर अधिमूल्य		
<u>प्राधिकृत शेयर पूँजी</u>		
1000/– रु0 प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर	**10,000.00**	10,000.00
(गत वर्ष 1000/– रु0 प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर)		
शून्य अधिमान शेयर	–	–
(गत वर्ष शून्य अधिमान शेयर)		
जोड़	**10,000.00**	10,000.00
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्तः		
1,000/– रु0 के 9,13,324 इक्विटी शेयर	**9,133.24**	9,133.24
(गत वर्ष 1000/– रु0 प्रत्येक के 9,13,324 इक्विटी शेयर)		
शून्य अधिमान शेयर		.
(गत वर्ष शून्य अधिमान शेयर)		
	9,133.24	9,133.24
ख) वर्ष के आरम्भ में तथा अन्त में बकाया इक्विटी शेयर की संख्या का मिलान		
वर्ष के आरम्भ में बकाया शेयरों की संख्या	**913,324.00**	913,324.00
जोड़िएः वर्ष के दौरान आबंटित शेयर की संख्या		
वर्ष के अन्त में बकाया शेयरों की संख्या	**913,324.00**	913,324.00

ग) इक्विटी शेयर के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास 1000/– रु0 प्रति शेयर अधिमूल्य के केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक शेयर होल्डर प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

घ) 5% से अधिक शेयर पूँजी रखने वाला शेयर धारक

शेयर धारक का नाम	**भारत सरकार**	भारत सरकार
शेयरों की संख्या	**913,324.00**	913,324.00
स्वामित्व	**100%**	100%
शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य	**9,133.24**	9,133.24

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 2 : प्रारक्षित एवं अधिशेष		
सामान्य प्रारक्षित		
लाभ एवं हानि लेखा में प्रारम्भिक शेष	**888.92**	548.14
घटाइएः गत वर्ष का एम.ए.टी.	—	—
जोड़िएः चालू वर्ष के अंतरण	**362.43**	340.78
घटाइएः चालू वर्ष में वापिस लिखा गया	—	—
अन्तिम शेष	**1,251.35**	888.92
नोट नं0 3 : दीर्घावधि ऋण		
अप्रतिभूत		
भारत सरकार	—	218.40
ब्याज उपार्जित और देय	—	—
जोड़	—	218.40
कुल जोड़	—	218.40

ऋण का ब्यौरा (भारत सरकार की सुनियोजित योजना के अधीन) पाँच समान वार्षिक किस्तों में @11.50% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर देय

वित्तीय वर्ष	ऋण की रकम	शेष (रु0 में)
2009—10	993.00	794.40
2009—10	600.00	480.00
2009—10	900.00	900.00
2012—13	410.00	410.00
2014—15	400.00	400.00
2014—15	1100.00	1,100.00
2015—16	—	—
2016—17	—	—
2017—18	—	—
2018—19	—	—
शेष	**4403.00**	**4,084.40***

***बकाया ऋण की की राशि नोट सं0 8 में दर्शाई गई है।**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 4 : अन्य दीर्घावधि देयताएं		
अन्य		
प्रतिभूति जमा/बयाना राशि	**890.45**	764.14
जोड़	**890.45**	764.14
नोट सं0 5 : दीर्घावधि प्रावधान		
कर्मचारियों के हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए	**3,618.69**	4,390.41
घटाइए: हिल कर्मचारी उपदान ट्रस्ट के लिए अंतरित	**2,312.85**	3,624.32
	1,305.84	766.09
छुट्टी वेतन के लिए	**1,669.99**	2,103.05
जोड़	**2,975.83**	2,869.14
नोट सं0 6 : अल्पावधि ऋण		
प्रतिभूत		
बैंक से नकद क्रेडिट (कच्चे माल, निर्माणाधीन कार्य, तैयार माल तथा बही ऋण की एवज में प्रतिभूत)	**14,964.33**	16,517.79
जोड़	**14,964.33**	16,517.79
नोट सं0 7 : व्यापार देय		
व्यापार देय (एम.एस.एम.ई.)	**1,389.00**	–
व्यापार देय (विविध देनदार)	**14,193.88**	12,628.67
जोड़	**15,582.88**	12,628.67

व्यापार देय (एम.एस.एम.ई.) में 45 दिनों से अधिक के लिए आपूर्तिकर्ता को देय राशि सम्मिलित है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 8 : अन्य चालू देयताएं		
सरकारी ऋण	**4,084.40**	3,866.00
उपार्जित ब्याज तथा सरकारी ऋण पर देय	**2,827.07**	2,357.37
उपार्जित ब्याज परन्तु सरकारी ऋण पर देय नहीं	**135.97**	135.97
ग्राहकों से अग्रिम	**881.46**	194.12
एलआईसी प्रीमियम देय	**4.00**	6.48
कमीशन देय	**121.61**	121.61
अदत्त वेतन एवं मज़दूरी	**335.62**	29.29
प्रतिभूति जमा/बयाना	**393.62**	254.91
बकाया देयताएं	**2,687.80**	2,610.34
सांविधिक देयताएं		
ईएसआई देय	**3.34**	1.65
भविष्य निधि देय	**63.36**	67.72
देय वेतन पर टीडीएस	**47.61**	41.95
देय वेतन के अलावा अन्य पर टीडीएस	**77.54**	22.53
जीएसटी देय	**1,038.19**	1,351.83
मूल्य वर्धित कर/व्यवसाय कर देय	**1.12**	1.01
सेवा कर देय	—	0.34
टी.सी.एस देय	—	0.11
जोड़	**12,702.71**	11,063.23

प्रति वर्ष बकाया ऋण और उस पर ब्याज (रु0 करोड़ में):

वर्ष	मूलधन	ब्याज़	जोड़
2011–12	4.99	1.04	6.03
2012–13	4.99	2.50	7.49
2013–14	5.80	2.97	8.77
2014–15	5.80	2.97	8.77
2015–16	5.62	4.70	10.32
2016–17	3.82	4.70	8.52
2017–18	3.82	4.70	8.52
2018–19	3.00	4.70	7.70
जोड़	37.84	28.28	66.12

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 9 : अल्पावधि प्रावधान		
कर्मचारियों के हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए	**1,721.55**	1,284.62
घटाइएः हिल कर्मचारियों के उपदान ट्रस्ट में अंतरण	**1,721.55**	1,284.62
	—	—
छुट्टी वेतन के लिए	**657.04**	545.16
बोनस के लिए	**5.17**	3.59
अन्य प्रावधान		
कराधान के लिए	—	—
जोड़	**662.21**	548.75

नोट सं0 10 : स्थिर परिसम्पित्तियां – ठोस

वर्ष 2018–19 के आरम्भ तथा अन्त में सकल अग्रेनीत राशि तथा निवल अग्रेनीत राशि का समाधान

(रु0 लाख में)

	सकल अग्रेनीत राशि				संचित मूल्यह्रास					संचित हानि				निवल अग्रेनीत राशि	
विवरण	1 अप्रैल, 2018 तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च, 2019 तक	1 अप्रैल, 2018 तक	वर्ष के दौरान दिया गया	गत वर्ष की आय/व्यय, अन्य	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च, 2019 तक	1 अप्रैल, 2018 तक	वर्ष के दौरान परिवर्तित	वर्ष के दौरान दिया गया	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 तक	1 मार्च, 2018 तक
1. भूमि – अपना	431.66	.	.	**431.66**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**431.66**	431.66
2. भूमि – पट्टे पर	2.95	.	.	**2.95**	1.99	0.03	.	.	**2.02**	.	.	.	.	**0.93**	0.96
3. भवन	2,755.71	432.56	.	**3,188.27**	1,309.64	74.70	.	.	**1,384.34**	.	.	.	.	**1,803.93**	1,446.07
4. संयंत्र एवं उपस्कर	11,851.01	1,181.62	.	**13,032.63**	10,016.00	404.01	.	.	**10,420.01**	.	.	.	.	**2,612.62**	1,835.02
5. फर्नीचर एवं फिक्सर	114.51	18.27	.	**132.78**	87.97	7.15	.	.	**95.12**	.	.	.	.	**37.66**	26.54
6. गाड़ियाँ	99.33	11.19	.	**110.52**	60.09	5.43	.	.	**65.52**	.	.	.	.	**45.00**	39.24
7. कार्यालय उपस्कर	460.74	10.69	0.26	**471.16**	360.55	18.71	.	0.26	**379.00**	.	.	.	.	**92.16**	100.18
8. कंप्यूटर	172.75	10.48	.	**183.23**	143.36	13.79	.	.	**157.15**	.	.	.	.	**26.08**	29.39
9. अन्य	23.75	0.08	.	**23.83**	22.79	0.63	.	.	**23.42**	.	.	.	.	**0.41**	0.96
कुल	**15,912.41**	**1,664.89**	**0.26**	**17,577.03**	**12,002.41**	**524.45**	.	**0.26**	**12,526.59**	.	.	.	.	**5,050.44**	**3,910.00**
पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	1,697.18	1,288.88	1,606.15	**1,379.91**	.	.	.	.	.	.	.	18.89	18.89	**1,361.02**	1,697.18
कुल योग	**17,609.59**	**2,953.77**	**1,606.42**	**18,956.94**	**12,002.41**	**524.45**	.	**0.26**	**12,526.59**	.	.	**18.89**	**18.89**	**6,411.46**	**5,607.19**

नोट सं0 11 : सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर–अमूर्त

वर्ष के 2018–19 आरम्भ तथा अन्त में सकल अग्रेनित राशि तथा निवल अग्रेनित राशि का समाधान

(रु0 लाख में)

	सकल अग्रेनीत राशि				संचित मूल्ह्रास					संचित हानि				निवल अग्रेनीत राशि	
विवर.l	1 अप्रैल, 2018 तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च, 2019 तक	1 अप्रैल, 2018 तक	वर्ष के दौरान दिया गया	गत वर्ष की आय/व्यय, अन्य	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च, 2019 तक	1 अप्रैल, 2018 तक	वर्ष के दौरान परिवर्तित	वर्ष के दौरान दिया गया	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 तक	1 मार्च, 2018 तक
1. गुडविल	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2. ब्रैंड/ट्रेड मार्क	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4. मस्तूल शिखर	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
5. खनन अधिकार	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
6. प्रतिलिप्याधिकार	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7. एकस्व	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
8. सॉफ्टवेयर	**765.91**	.	.	**765.91**	**12.38**	**76.59**	.	.	**88.97**	.	.	.	.	**676.94**	**753.53**
जोड़	**765.91**	.	.	**765.91**	**12.38**	**76.59**	.	.	.	.	.	.	.	**676.94**	**753.53**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 12 : गैर वर्तमान निवेश		
व्यापार निवेश	.	.
इक्विटी शेयरों में निवेश (अनुद्धृत)		
क) केरल इन्वीरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोचीन में प्रति शेयर 10/– रु0 के 50,000/– इक्विटी शेयर	**5.00**	5.00
ख) 100 रु0 प्रति के 100 इक्विटी शेयरः		
–एच.आई.एल कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, उद्योगमंडल	**0.10**	0.10
–एच.आई.एल उपभोक्ता सहकारी स्टोर लिमिटेड, उद्योगमंडल	**0.10**	0.10
जोड़	**5.20**	5.20
नोट सं0 13 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
क **प्रतिभूत जमा**		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	–	–
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**70.52**	88.38
संदिग्ध	**0.70**	0.70
घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**(0.70)**	(0.70)
जोड़ (क)	**70.52**	88.38
ख **अन्य ऋण और अग्रिम**		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	–	–
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**111.99**	95.64
संदिग्ध	**41.40**	41.40
घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**(41.40)**	(41.40)
जोड़ (ख)	**111.99**	95.64
कुल जोड़	**182.51**	184.02

तीन वर्षों से अधिक बकाया ऋण एवं अग्रिम 361.64 लाख रु0 (गत वर्ष 296.06 लाख रु0) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है

(₹ लाख में)

विवरण	**31.03.2019 तक**	31.03.2018 तक
नोट सं0 14 : अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
दीर्घावधि प्राप्य व्यापार		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	–	–
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	–	–
संदिग्ध	–	–
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
	–	–
क दीर्घावधि प्राप्य व्यापार		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	–	–
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	–	–
संदिग्ध	–	–
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
जोड़ (क)	–	–
अन्य		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	–	–
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**114.62**	102.00
संदिग्ध	**61.69**	61.69
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**(61.69)**	(61.69)
जोड़	**114.62**	102.00
कुल जोड़	**114.62**	102.00

नोट सं0 15 : वर्तमान निवेश

क) इक्विटी में निवेश	–	–
ख) अधिमान शेयरों में निवेश	–	–
ग) सरकार अथवा ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश	–	–
घ) डिबेंचर अथवा बॉण्ड्स में निवेश	–	–
ङ) अन्य निवेश	–	–
जोड़	–	–

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 16 : वस्तुसूचियाँ		
क. **कच्ची सामग्री**		
स्टॉक में	**2,853.06**	1,861.33
मार्गस्थ	—	—
ख. **निर्माणाधीन**		
स्टॉक में	**1,305.98**	2,228.66
मार्गस्थ	—	—
घटाइए: प्रावधान	**(18.94)**	(18.94)
ग. **तैयार माल**		
स्टॉक में	**2,898.10**	3,062.49
मार्गस्थ	**256.50**	—
उपोत्पाद	**412.56**	0.50
अविक्रेय स्टॉक के लिए प्रावधान	**(347.61)**	(277.11)
घ. **भण्डार एवं अतिरिक्त**		
स्टॉक में	**649.29**	849.82
मार्गस्थ	**30.47**	—
ङ. **खुले औजार**		
स्टॉक में	**1.90**	1.41
मार्गस्थ	—	—
च. **पैकिंग सामग्री**		
स्टॉक में	**655.77**	688.55
मार्गस्थ	—	—
छ. **ईंधन**		
स्टॉक में	**29.84**	30.90
मार्गस्थ	—	—
जोड़	**8,726.92**	8,427.61

518.43 लाख रु0 (गत वर्ष 521.13 लाख रु0) के भण्डारण एवं अतिरिक्त कच्चा माल और पैकिंग सामग्री तीन वर्ष से अधिक समय संचालन में नहीं है। 518.43 लाख में से 253.14 लाख रु0 के प्रावधान किए गए है। तथा प्रावधान के पश्चात निवल मूल्य दर्शाए गए हैं।

लम्बित जांच, 31.03.2019 को भौतिक सत्यापन के दौरान रु 0.04 लाख का तैयार माल कम पाया गया, जिन्हें लेखों में समायोजित नहीं किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2019 तक		31.03.2018 तक
नोट सं0 17 : व्यापार प्राप्य				
क **भुगतान के लिए देय तिथि से छः माह से अधिक बकाया प्राप्य व्यापार**				
प्रतिभूत खरे, समझे गए		–		–
अप्रतिभूत खरे समझे गए		**13,304.95**		14,990.11
संदिग्ध		**67.03**		60.68
घटाइएः अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		**67.03**		60.68
जोड़ (क)		**13,304.95**		14,990.11
ख **प्राप्य व्यापार (अन्य)**				
प्रतिभूत खरे, समझे गए		–		–
अप्रतिभूत, खरे समझे गए		**23,853.50**		20,202.71
संदिग्ध		–		–
घटाइएः अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		–		–
घटाइएः विविध देनदारियों के लिए आरक्षित–इण्डोसल्फॉन बिक्री		–		–
जोड़ (ख)		**23,853.50**		20,202.71
जोड़ (क+ख)		**37,158.45**		35,192.82

तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया विविध देनदारों जो 7819.86 लाख रु0 है (गत वर्ष 5101.63 लाख रु0) के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

नोट सं0 18 : नकद एवं नकद समतुल्य				
क **बैंक के पास शेष**				
I **किसी विशेष उद्देश्य के लिए बैंक शेष**				
चालू खाते		**87.24**		291.36
II **मार्जिन धन अथवा प्रतिभूति की एवज में रखा गया बैंक शेषः**				
क) ऋण		–		–
ख) गारंटी		**12.77**		12.05
ग) साख–पत्र		–		–
घ) अन्य प्रतिबद्धताएं		–		–
III **एफडीआर (लियन अधीन)**		**2.24**		–
ख **पास में चैक, डिमांड ड्राफ्ट**				
पास में डिमांड ड्राफ्ट		–		–
ग) **पास में नकद**	**0.12**		0.32	
घटाइएः– खराब नोटों के लिए प्रावधान	**(0.07)**	**0.05**	(0.09)	0.23
घ) **अन्य (स्टाम्पस/अग्रदाय)**		**0.03**		0.05
जोड़		**102.33**		303.69

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 19 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**148.35**	133.93
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**828.17**	853.52
संदिग्ध	**2.61**	0.76
घटाइएः अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**(2.61)**	(0.76)
जोड़	**976.52**	987.45
नोट सं0 20 : अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
उपार्जित ब्याज एवं जमा/अग्रिम पर देय	**0.63**	0.33
पूर्वदत्त व्यय	**42.86**	67.93
सरकार/आईपीएफटी/रेनपेप/अन्यों से वसूलनीय राशि	**2,547.26**	1,679.08
वस्तु एवं सेवा कर प्राप्य	**661.34**	918.63
प्रतिभूति एवं अन्य जमा	**259.75**	164.42
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**267.21**	200.72
अन्य परिसम्पत्तियां	–	–
राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष		
अग्रिम कर	**169.53**	150.74
घटाइएः कर के लिए प्रावधान	**128.78**	113.54
निवल अग्रिम कर	**40.75**	37.20
सेवा कर/प्राप्य टी डी एस/शुल्क और कर	**1.20**	0.47
	3,821.00	3,068.78
घटाइएः प्रावधान	**(12.95)**	(–)
जोड़	**3,808.05**	3,068.78

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2019 तक	31.03.2018 तक

नोट नं0 21 : राजस्व बिक्री

	प्रचालनों से राजस्व		
क	**सकल बिक्री**	**47,823.58**	43,265.95
	घटाइए: उत्पाद शुल्क	**(–)**	(142.91)
	वस्तु एवं सेवा कर	**(3,944.31)**	(3,250.21)
	सी.एस.टी./मूल्य वर्धित कर	**(–)**	(53.36)
	निवल बिक्री	**43,879.27**	39,819.47
ख	**अन्य प्रचालनों से राजस्व**		
	निर्यात लाभ	**29.26**	278.82
	बीज सहायिकी	**1,166.34**	361.55
	जोड़	**45,074.87**	40,459.84

i. बिक्री को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018–19 के लिए एन.वी.बी.डी.सी.पी. को डी.डी.टी.की आपूर्ति के लिए अपनाए गए मूल्य और अनन्तिम मूल्य में भिन्नता 5,977.40 लाख रु0 है।

ii. 1011.54 लाख रु0 की निर्यात बिक्री को सम्मिलित करते हुए निवल बिक्री

नोट नं0 22 : अन्य आय

प्राप्त लाभांश	**22.26**	–
बैंक से	**1.12**	0.29
स्टाफ तथा अन्यों से	**50.53**	14.12
विदेशी मुद्रा का अंतर (निवल)	**19.29**	25.33
किराया	**5.59**	5.70
प्रयोगात्मक कृषि उत्पाद आय	–	0.88
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.03**	0.52
संदिग्ध ऋण दावे एवं अन्य वसूलियां	–	1.30
देयताएं/प्रावधान प्रतिलेखित किए गए	**114.61**	393.32
विविध आय	**320.80**	537.80
जोड़	**534.23**	979.26

वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में विनिमय अंतर की राशि 30.78 लाख रु0 (डेबिट) और 50.07 लाख (क्रेडिट) सम्मिलित है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 23 : खपत की गई कच्ची सामग्री की कीमत		
प्रारम्भिक स्टॉक	**1,860.49**	2,017.21
खरीद	**27,894.93**	23,130.94
जोड़	**29,755.42**	25,148.15
बिक्री / समायोजन	**18.52**	163.39
घटाइएः अन्य विभागों में खपत	–	19.14
	29,736.90	24,965.62
घटाइएः अंतिम स्टॉक	**2,853.06**	1,860.49
जोड़	**26,883.84**	23,105.13
नोट सं0 24 : वस्तुसूचियों में बदलाव		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार उत्पाद	**3,200.59**	3,412.92
उपोत्पाद	**0.50**	0.08
निर्माणाधीन कार्य	**2,251.53**	1,984.01
	5,452.62	5,397.01
घटाइएः समायोजन	**319.85**	54.85
	5,132.77	5,342.16
अन्तिम स्टॉक		
तैयार उत्पाद	**3,071.12**	3,200.59
उपोत्पाद	**412.56**	0.50
निर्माणाधीन कार्य	**1,287.04**	2,251.53
	4,770.72	5,452.62
वृद्धि(–) / कमी(+)	**362.05**	(110.46)

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं. 25 : कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन एवं प्रोत्साहन	**6,182.78**	6,863.89
भविष्य निधि में अंशदान	**649.22**	710.55
उपदान	**659.43**	519.14
स्टाफ कल्याण खर्च	**1,389.52**	1,262.01
कर्मचारी राज्य बीमा का अंशदान	**7.82**	9.78
हिल कर्मचारी कल्याण निधि को अंशदान	**0.53**	0.44
बोनस	**5.17**	5.78
जोड़	**8,894.47**	9,371.59

स्टाफ कल्याण खर्च में चिकित्सा खर्च सम्मिलित हैं।

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं. 26 : वित्त व्यवस्था लागत		
ब्याज़ खर्च		
सरकारी ऋण	**469.71**	440.95
अन्य ऋण लागत		
नकद क्रेडिट पर ब्याज़	**1,446.16**	1,404.12
अन्य ब्याज़	**19.02**	4.31
कुल ब्याज	**1,934.89**	1,849.38
घटाइए: निर्माणाधीन कार्य में अंतरित पूंजी	**85.48**	190.90
जोड़	**1,849.41**	1,658.48

(₹ लाख में)

विवरण			31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 27 : अन्य व्यय				
विर्निमाणन/उत्पादन व्यय				
पुनः पैकिंग एवं फार्मुलेशन प्रभार			**122.04**	28.04
खपत की गई पैकिंग सामग्री			**655.18**	722.33
भण्डार एवं अतिरिक्त खपत			**194.48**	92.21
आन्तरिक ढुलाई			**133.41**	134.04
ऊर्जा, ईंधन और पानी			**1,718.84**	1,653.20
अनुसंधान एवं विकास एवं प्रयोगशाला व्यय			**5.57**	13.72
अन्य कार्य/फुटकर कार्य व्यय			**206.04**	345.00
आरम्भिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क का अंतर			–	(89.64)
बीज सेवा प्रभार			**315.85**	194.13
कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोगः	व्यय	9.15		
घटाइएः	अनुदान	9.15	–	–
पौध संरक्षण खर्च	व्यय	19.71		
घटाइएः	अनुदान	19.34	**0.37**	–
एम.आई.डी.एच खर्च	व्यय	125.12		
घटाइएः	अनुदान	125.00	**0.12**	2.72
मरम्मत एवं रखरखाव				
मशीनरी एवं संयत्र पर			**87.86**	234.31
भवन			**33.49**	96.19
अन्य पर			**57.49**	63.70
बिक्री एवं प्रशासनिक व्यय				
किराया			**83.10**	79.05
दरें और कर			**121.17**	132.67
बीमा			**57.02**	51.11
सी एस आर व्यय			**19.75**	12.00
स्वच्छ भारत उपकर			.	1.15
बिजली एवं पानी प्रभार			**23.74**	23.63
विज्ञापन			**52.32**	119.03
प्रचार–प्रसार			**99.11**	64.94
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी			**20.84**	19.49
डाक, टेलीफोन एवं ई–मेल व्यय			**39.51**	50.32
यात्रा खर्च				
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक			.	.
निदेशक			**13.55**	16.19
अन्य			**174.88**	157.61
गाड़ी चलाने तथा रख–रखाव पर व्यय			**71.95**	66.08
कानूनी तथा पेशेवर प्रभार			**210.70**	173.04
लेखा परीक्षकों को भुगतान एवं व्यय				
लेखा परीक्षा के लिए शुल्क			**4.55**	4.55
कराधान मामलों के लिए			.	.
अन्य सेवाओं के लिए			**1.37**	1.37
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए			**0.77**	1.26
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा शुल्क			**3.26**	3.41
		अग्रेनीत	**4,528.33**	4,466.85

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 27 : अन्य व्यय			
	अग्रानीत	**4,528.33**	4,466.85
सीआईएसएफ/सुरक्षा खर्च		**468.94**	453.09
स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए खर्च		**49.41**	68.20
भर्ती पर खर्च		**2.33**	6.58
गेस्ट हाउस के लिए खर्च		**13.18**	12.39
फाइलिंग शुल्क		**0.04**	0.11
टाउनशिप/भूमि रख–रखाव खर्च		**14.15**	40.27
अभिदान और सदस्यता शुल्क		**14.66**	12.27
समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाएं		**0.98**	0.65
बैंक प्रभार		**75.98**	98.83
विदेशी मुद्रा अन्तर (निवल)		–	–
भाड़ा ढुलाई एवं रख–रखाव व्यय		**594.84**	680.62
विविध व्यय		**105.08**	84.08
मनोरंजन व्यय		**20.29**	27.46
बिक्री पर नकद छूट/कटौती		**363.89**	252.30
कमीशन		**16.09**	0.84
बट्टे खाते स्टॉक (पैंकिंग सामग्री)		**34.64**	–
घटाइएः– पहले प्रदान किए गए		**0**	–
संदिग्ध ऋण/दावों के लिए प्रावधान		**6.35**	–
दावों एवं अन्यों के लिए प्रावधान		**14.80**	3.09
परिसम्पत्ति/डब्ल्यू.आई.पी. की हानि के लिए प्रावधन		**18.89**	.
कालावधि समाप्त स्टॉक के लिए प्रावधान		**70.50**	132.65
खराब नोटो के लिए प्रावधान		–	0.09
संसदीय समिति		**1.67**	1.79
कंप्यूटर व्यय		**90.27**	7.16
विलम्ब शुल्क		–	1.06
जोड़		**6,505.31**	6,350.37

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नोट सं0 28 : पूर्व अवधि समायोजन		
पूर्व अवधि व्यय		
बिक्री	–	–
अन्य आय	–	–
सामग्री	–	44.29
विनिर्माणन व्यय	–	–
कार्मिक	–	–
बिक्री एवं प्रशासन व्यय	**35.38**	16.72
मूल्यह्रास	–	–
कर	–	–
ब्याज	–	–
अन्य	**12.20**	.
जोड़	**47.58**	61.01
पूर्व अवधि आय		
सामग्री		
बिक्री	–	–
अन्य आय	–	–
सामग्री	–	0.02
विनिर्माणन व्यय	–	–
कार्मिक	–	–
बिक्री एवं प्रशासन व्यय	–	–
मूल्यह्रास	–	–
कर	–	–
ब्याज	–	–
अन्य आय	–	2.98
जोड़	–	3.00
निवल	(47.58)	(58.01)

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
<u>नोट सं0 29 : असाधारण मदें</u>		
असाधारण व्यय		
बिक्री	–	–
अन्य आय	–	–
सामग्री	–	–
विनिमार्णन व्यय	–	–
कार्मिक	–	–
बक्री एवं प्रशासन व्यय	–	–
मूल्यह्रास	–	–
कर	–	–
ब्याज	–	–
अन्य (स्टॉक का समावेश)	–	17.66
जोड़	–	17.66
<u>असाधारण आय</u>		
बिक्री	–	–
अन्य आय	–	–
सामग्री	–	–
विनिमार्णन व्यय	–	–
कार्मिक	–	–
बिक्री एवं प्रशासन व्यय	–	–
मूल्यह्रास	–	–
कर	–	–
ब्याज	–	–
अन्य	–	–
जोड़	–	–
निवल	–	(17.66)

नोट – 30: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

1) लेखांकन की अवधारणा :

कम्पनी अपने लेखे पूर्वकालिक लागत परम्परा के अन्तर्गत प्रोद्‌भवन आधार पर तैयार करती है।

2) अचल परिसम्पत्तियाँ :

सभी अचल परिसम्पत्तियाँ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रदान की गई मूल्यह्रास द्वारा कम की गई पूर्व कालिक लागत पर बताई गई है।

3) निर्माणाधीन परियोजना पर व्यय:

क) परियोजना के विनिर्माण में कम्पनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष व्यय पूँजीकृत कर दिया जाता है।

ख) परियोजना के लिए आबंटित दीर्घावधि ऋण पर प्रदत्त ब्याज को पूँजीकृत कर दिया जाता है।

4) मूल्यह्रास / परिशोधन:

क) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विहित दरो के अनुसार परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्राक्कलित अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है।

ख) पट्टाधारित भूमि की लागत को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ग) 5,000 रूपए अथवा इससे कम मूल्य वाली प्रत्येक मद के मामले में पूर्ण मूल्यह्रास हेतु प्रावधान अधिप्राप्ति के वर्ष में किया जाता है।

5) पूँजी निवेश:

''दीर्घावधिक श्रेणी'' के निवेश लागत पर किए जाते हैं।

6) मालसूची का मूल्यांकन:

क) मालसूची (बीज सहित) का मल्यांकन न्यून लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

. निर्माणाधीन कार्य का मूल्यांकन अनुमानित लागत पर किया जाता है।

. तैयार माल और व्यापार में स्टॉक का मूल्यांकन न्यूनतम लागत अथवा निवल वसूली मूल्य पर किया जाता है।

. कच्चे बीज का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

. परिवर्तन लागत में उत्पादन की इकाई से प्रत्यक्षतः संबंधित लागत, यथा प्रत्यक्ष श्रम तथा कच्ची सामग्री को तैयार माल में परिवर्तित करने में होने वाले सभी स्थायी एवं परिवर्तनशील ऊपरी व्यय का क्रमबद्ध आबंटन शामिल है।

. तैयार माल की लागत में मालसूची के रूप में रखे गए उत्पाद शुल्क योग्य तैयार माल पर प्रदत्त / देय उत्पाद शुल्क शामिल हैं; जिन मामलों में अंतिम मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता उन मामलों में ऐसी देनदारी पर अनन्तिम / ज्ञात बिक्री मूल्य के आधार पर विचार किया जाता है।

ख) भण्डार एवं अतिरिक्त खुले औजारों, पैकिंग सामग्री और अन्य माल सूचियां का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

ग) लागतें भारित औसत लागत पर आधारित हैं।

घ) खरीद की लागत में समायोजित वसूली योग्य, अन्य खर्च, समायोजित, व्यापार छूट कटौती और कीमत समायोजन शामिल है। निवल वसूलनीय मूल्य सबसे कम बिक्री कीमत समायोजित समायोाजित परिवर्तनशील बिक्री और वितरण लागत पर लिया जाता है, जो भविष्य में वसूली की उम्मीद हो।

7) अनावश्यक/क्षतिग्रस्त उपस्कर/सामग्रीः

अनावश्यक/क्षतिग्रस्त उपस्कर/सामग्री पर लाभ/हानि का लेखांकन निपटान से पूर्व उपलब्ध निवल प्राप्य मूल्य के अभाव में ऐसे उपस्कर/ऐसी सामग्री के निपटान के वर्ष में पहचान किए जाने के पश्चात् किया जाता है।

8) सेवानिवृत्ति लाभः

कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित देनदारियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है :

क) मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर उपदान; और

ख) संचित अवकाश

9) अनुदान सहायताः

9.1) पूंजीगत खाते पर सब्सिडी/अनुदान की संबंधित संपत्तियों की लागत से कटौती की जाती है, जिनसे वे संबंधित हैं।

9.2) राजस्व खाते पर सब्सिडी/अनुदान लाभ और हानि के विवरण के रूप में जमा किया जाता है और प्रासंगिक खर्च व्यय के संबंधित मद को डेबिट कर दिया जाता है और वित्तीय विवरण में निवल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

10) बीज आर्थिक सहायताः

वर्ष के दौरान, भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना के आधार पर लेखांकन किया गया।

11) आस्थगित राजस्व व्ययः

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देय अनुग्रह/क्षतिपूर्ति पर होने वाला व्यय (यदि कोई अनुदान सहायता मिली हो तो उसे छोड़कर) भारमुक्ति के वर्ष से पाँच वर्षों की अवधि में समान किस्तों में परिशोधित किया जाता है।

12) विदेशी मुद्रा लेन–देनः

क) विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख) अचल परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति के क्रम में उद्भूत देनदारी की वापसी को छोड़कर अन्यी मामलों में विदेशी मुद्रा लेन–देन के कारण उद्भूत विनियम अंतर को उस वर्ष की आय व व्यय मान लिया जाता है, जिस वर्ष में वे उद्भूत होते हैं।

ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा (प्राप्य, देय इत्यादि) में दी गई मौद्रिक वस्तुओं की व्याख्या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

13) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ केवल तभी मान्य हैं यदि यह संभव हो कि उन परिसम्पत्तियों से प्राप्त आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे तथा परिसिम्पित्तियों की कीमत की विश्वसनीयता का अनुमान लगाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ लागत पर दर्ज की गई हैं तथा लागत में से संचित परिशोधन तथा संचित हानियाँ यदि कोई हैं तो को घटाने के बाद ली गई है।

14) राजस्व पहचानः

क) एन.वी.बी.डी.सी.पी को की गई आपूर्ति का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा स्वीकृत मूल्यों पर तथा वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा तथा उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विहित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

ख) एन.वी.बी.डी.सी.पी के लिए उत्पादों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन उत्पादन की न्यूनतम की लागत अथवा स्वीकृत मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

ग) सी.ए.बी द्वारा निर्धारित अंतिम मूल्य तथा स्वीकृत मूल्यों में अंतर का समायोजन उस वर्ष की बिक्री में किया जाता है जिस वर्ष में मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।

घ) वस्तु एवं सेवा कर हेतु प्रावधान आपूर्ति के वर्ष में अन्तिम मूल्य (क्रय आदेश के अनुसार) के आधार पर किया जाता है। अनन्तिम मूल्य तथा अंतिम मूल्य में अंतर के कारण उद्भुत उत्पाद शुल्क व बिक्री कर के लिए प्रावधान दावा प्रस्तुत करने के समय किया जाता है।

ङ) वार्षिक उत्पादन योजना के अनुसार अनुमानित उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर बीज उत्पादन की सब्सिडी को मान्यता दी जाती है और उस वित्तीय वर्ष के खरीफ के दौरान उत्पादन पर 100% सब्सिडी और वित्तीय वर्ष के रबी के उत्पादन पर 25% सब्सिडी आय के रूप में मान्य है।

15) पुराने ऋण के लिए प्रावधानः

वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के लेखों के ऐसे ऋण, जो तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है तथा संदिग्ध और अवसूलनीय हैं, के लिए प्रावधान किया गया है। मुकदमें बाजी/मध्यस्थता के अधीन तर्क संगत ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा ऐसे ऋणों की एवज में वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोई वित्तीय देयता अनुमानित नहीं है।

नोट –31 लेखों पर अतिरिक्त नोट

1) आकस्मिक देयताएं तथा वचनबद्धताएं (जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

	विवरण	**31 मार्च, 2019 तक**	**31 मार्च, 2018 तक**
क)	**आकस्मिक देयताएं**		
i)	कंपनी पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	**14,33,56,360**	18,61,06,298
ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन संशोधन बकाया (1.1.2007/1.04.2007 से 27.04.2011 तक)	**7,75,33936**	8,82,81,145
iii)	एस.पी.सी.एल. के पक्ष दी जाने वाली प्रति प्रत्याभूति	**107,77,13,842**	95,58,44,000
ख)	**वचनबद्धताऐं**		
i)	संविदाओं की अनुमानित राशि, जो पूंजीगत लेखे पर लिखनी हैं तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	**1,26,86,082**	83,84,537
ग)	**अन्य**	**1,01,11,775**	1,18,00,000
	जोड़ (क + ख)	**132,14,01,995**	1,25,04,15,980

2) यदि वित्तीय संस्थानों द्वारा सदर्न पेस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि0 मामले में दी गई काउंटर गारंटी (जिसे आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाया गया है) की मांग की जाती है तो आर्थिक मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 06 को किए गए अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार सहायता प्रदान करेगी।

3) भारत सरकार के अनुमोदन से वेतनमान लागू हो गए हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 1.1.2007/1.4.2007 से 27.4.2011 तक का बकाया सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् तभी देय होगा, जब कंपनी सरकार को संतुष्टिकरण के लए उत्पादक तथा लाभप्रदत्ता में सुधार के माध्यम से पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करेगी।

4) भारत सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी के 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन का अनुमोदन कर दिया है। 31.03.2019 तक सामर्थ्य खंड की पूर्ति न होने के कारण प्रशासनिक मंत्रालय से लंबित अनुमोदन 01.01.2017 से वेतन संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5) कुछ विविध देनदारों, विविध लेनदारों तथा ऋण व अग्रिम के शेष की संपुष्टि/मिलान समायोजन किया जाना है।

6) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

मुख्य प्रबन्धन कार्मिकः

क) श्री एस.पी. मोहन्ती, निदेशक (विपणन)/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार

ख) श्री अंजन बनर्जी, निदेशक (वित्त)

ग) श्री एस. चट्टोपाध्याय – कंपनी सचिव एवं महाप्रबन्धक (वित्त)

संबंधित पार्टियो से लेन–देन निम्नानुसार हैः–

नाम	लेन–देन की प्रकृति	राशि (रू0)
श्री एस.पी मोहन्ती	पारिश्रमिक	2805371/–
श्री अंजन बनर्जी	पारिश्रमिक	2631337/–
श्री एस. चट्टोपाध्याय	पारिश्रमिक	1929908/–

7) (क) 31.03.2008 तक सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि0 (एस.पी.सी.एल) की इक्विटी पूँजी 496.66 लाख रूपये (प्रत्येक 1,000/– रूपये मूल्य के 49,666 शेयर) हैं। एस.पी.सी.एल का ममला बीआईएफआर को सौंप दिया गया था तथा बीआईएफआर ने एस.पी.सी.एल परिसमाप्त करने का नोटिस जारी कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय, आध्र प्रदेश ने एस.पी.सी.एल को दिनांक 2 अप्रैल, 2002 से बन्द करने का ओदश जारी कर दिया है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई हैं। चूँकि निवेश, विविध देनदारों तथा ऋण व अग्रिम से किसी प्रकार का प्रतिफल/भुगतान प्राप्त होना संदेहास्पद है, अतः वर्ष 2009–10 में निवेश और विविध देनदारों तथा ऋण व अग्रिम से संबद्ध संपूर्ण राशि को अपलिखित किया गया है। इस वर्ष के दौरान एस.पी.सी.एल. से लाभांश के रूप में 22.26 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसे नोट संख्या 22 में लाभांश आय के रूप में दिखाया गया है।

(ख) चूँकि सहायक कंपनी एस.पी.सी.एल के परिसमापक की प्रक्रिया जारी है तथा इसकी सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई हैं, अतः इसे प्रचालित किए जाने की संभावना नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस कंपनी द्वारा अपना कोष अपनी मूल कंपनी अर्थात एच.आई.एल को वापस करने के मार्ग में बड़ी बाधा है। तद्नुसार, लेखांकन मानक – 21 के अनुसार एस.पी.सी.एल के लेखे को कंपनी के लेखे के साथ समेकित नहीं किया जा रहा है।

8) टाउनशिप (पट्टाधारित) में से 2,158 वर्ग गज जमीन दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिगृहित कर ली गई है। कंपनी ने इस मामले में 4.32 लाख रूपए का दावा किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाप–पत्र' नहीं मिल पाने के कारण दावे का निपटारा नहीं किया जा सका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' जारी करने के लिए अन्तरण लेवी (महसूस) शुल्क के रूप में 1.10 लाख रूपए की मांग की है। इस मामले का निपटारा हो जाने के बाद लेखे में समायोजन कर दिया जाएगा।

9) (क) कंपनी के पास सेक्टर 20 उद्योग विहार, गुरुग्राम में 58 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि है। 2 जून, 2017 को हुड्डा ने उपर्युक्त भूमि के संबंध में 09.06.2017 को एक बेदखली आदेश के बाद एक आंबटन का निरस्ण आदेश जारी किया। कंपनी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरारंभ आदेश को चुनौती दी। माननीय न्यायालय ने हुड्डा द्वारा जारी किए गए पुनरारंभ आदेश पर स्टे लगा दिया। अभी तक, मामला न्याय के अधीन है। 58 एकड़ में से 4 एकड़ सड़क के चौड़ीकरण के लिए हुडा द्वारा अधिग्रहित किया गया है और अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 4 एकड़ भूमि के मुआवजे का भुगतान प्रक्रियाधीन है। हुड्डा द्वारा अधिग्रहित वास्तविक राशि का माप के लिए अंतिम संचार, उक्त भूमि के संबंध में कोई लेखांकन उपचार नहीं किया गया है।

(ख) इसके पश्चात उपरोक 58 एकड़ जमीन में से 1.20 एकड़ जमीन भरतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) द्वारा मुआवजे के भुगतान द्वारा अधिगृहित करना प्रस्तावित है। चूंकि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, कोई लेखांकन उपचार नहीं किया गया है।

10) आयकर आंकलन वित्तीय वर्ष 2015–16 (आंकलन वर्ष 2016–17) तक पूरा हो चुका है।

11) कंपनी एक खण्ड अर्थात कृषि उत्पादों (कीटनाशकों, उर्वरकों और बीजों) का कारोबार कर रही है। लेखांकन मानक एएस–17 के अन्तर्गत खण्ड रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

12) निविदा में भाग लेने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तहत सभी विक्रेताओं ने निविदा के अनुसार कंपनी के क्रेडिट अवधि के साथ सहमति व्यक्त की है, जो 45 दिनों से अधिक है, इसलिए 45 दिनों के पश्चात् भुगतान में देरी के लिए कोई ब्याज नहीं दिया गया है।

13) लेखांकन मानक–28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है, क्योंकि परिसम्पत्तियों के बही मूल्य के अनुसार परिसम्पत्तियों के प्रयोग या निपटान से वसूलनीय राशि अधिक नहीं होती है।

14) कंपनी ने भारत सरकार से विभिन्न अवधि में लागू ब्याज दर पर ऋण (योजना) लिया है। दिनांक 31.03.2019 को ब्याज सहित ऋण (योजना) का बकाया 69.11 करोड़ रुपये हैं, जिसका हिसाब रखा गया है। कंपनी ने 66.11 करोड़ रुपये की मूल राशि और ब्याज नहीं चुकाया है। संस्वीकृत ऋण (योजना) के शर्तों के अनुसार, भारत सरकार डिफ़ॉल्ट चुकौती/ब्याज की स्थिति में दंड 2.75% की दर से ब्याज का चार्ज करने का अधिकार रखती है कंपनी ने खाता बहियों में जुर्माना ब्याज नहीं दिया है।

15) क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (कोयम्बटूर) के विविध देनदार ने याचिका दायर की कि दिवालिया होने के कारण उनकी फर्म 12.95 लाख रुपये का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इस याचिका को कंपनी ने चुनौती दी है। विविध देनदारों में एक कंपनी भी सम्मिलित है, जिसे बी.आई.एफ.आर. को रैफर किया गया है, जिस पर 9.18 लाख की राशि बकाया है।

16) क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (कोलकाता) में 12.89 रु0 लाख के लिए तीन देनदारों के खिलाफ मार्च 2012 को कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जो कि चार साल से अधिक पुरानी है और चालू वर्ष में एक देनदार के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जिस पर 56.88 लाख रु0 बकाया या रिकवरी थी। इस मामले को न्यायिक होने के कारण संदिग्ध नहीं माना गया है।

17) बीज के विरुद्ध प्राप्य सब्सिडी के प्रावधान 91.74 लाख रु0 के लिए और पिछले वर्षों के 40.26 लाख रु0 के प्रावधान के अंतर्गत बीज की सब्सिडी वर्ष के दौरान समायोजित की गई है और वर्ष के दौरान गत वर्ष की 105.13 लाख रुपये की अतिरिक्त देयता को प्रतिलेखित किया गया है।

18) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुरूप एकरूपता लाने के लिए, कंपनी ने 01.04.2018 से अचल संपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य के अनुमान को सकल मूल्य के 5% के रुप में परिवर्तित कर दिया है; अनुमान परिवर्तन के कारण वित्त वर्ष 2018–19 में मूल्यह्रास घटकर 59.42 लाख रुपये कम हां गया है।

19) लेखांकन मानक–15(आर) के अनुसार प्रकटीकरणः–

लेखांकन नीति की श्रृंखला में तथा लेखांकन मानक–15(आर) के अनुसार पोस्ट इम्लायमेंट हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति को लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन–पत्र में निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती हैः–

क) तुलन पत्र की तारीख को मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

विवरण	**उपदान**		**छुट्टी वेतन**	
	2018–19	2017–18	**2018–19**	2017–18
छूट दर	**7.50%**	7.70%	**7.50%**	7.70%
संपूर्ति स्तर में वृद्धि की दर	**5.00%**	5.00%	**5.00%**	5.00%
सुनियोजित परिसम्पत्तियों पर लाभ की दरः	**7.80%**	7.70%	–	–

ख) दायित्व के वर्तमान मूल्य में बदलाव

विवरण	उपदान		छुट्टी वेतन	
	2018–19	2017–18	**2018–19**	2017–18
शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,66,32,751	59,29,28,471	26,48,21,293	31,21,65,060
अर्जन समायोजन	–	–	–	–
ब्याज लागत	3,76,23,434	4,10,56,687	1,70,11,648	2,13,45,464
पूर्व सेवा लागत	–	12,35,08,102	–	–
वर्तमान सेवा लागत	1,84,73,163	1,91,34,707	18,03,47,345	1,43,63,791
संक्षिप्त कार्य लागत/क्रेडिट	–	–	–	–
निपटान लागत/ क्रेडिट	–	–	–	–
लाभ चुकता (उद्यमों द्वारा)	–	1,20,906	7,59,98,652	6,99,02,473
लाभ चुकता (निधि से)	12,99,73,933	11,93,28,565	–	–
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	4,12,68,403	(9,05,45,745)	(15,34,79,093)	(1,31,50,549)
अवधि के अन्त में दायित्व का वर्तमान मूल्य	53,40,23,818	56,66,32,751	23,27,02,541	26,48,21,293

ग) योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव

विवरण	उपदान		छुट्टी वेतन	
	2018–19	2017–18	**2018–19**	2017–18
अवधि की शुरूआत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	48,77,95,960	57,16,81,786	–	–
अर्जन समायोजन	–	–	–	–
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	3,80,48,084	4,40,19,497	–	–
अंशदान	98,00,457	1,38,216	–	–
लाभ प्रदत्त	12,99,73,933	11,94,49,471	–	–
योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(57,56,176)	(54,96,421)	–	–
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों पर उचित मूल्य	39,99,14,393	49,08,93,607	–	–

घ) वित्तपोषित स्थितिः

विवरण	उपदान		छुट्टी वेतन	
	2018–19	2017–18	**2018–19**	2017–18
अवधि के अन्त में दायित्व का वर्तमान मूल्य	53,40,23,818	56,66,32,751	–	–
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	39,99,14,393	49,08,93,607	–	–
निधिक स्थिति	(13,41,09,425)	(7,57,39,144)		
आमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	–	–	–	–
तुलन–पत्र में मान्य निवल देयता	(13,41,09,425)	(7,57,39,144)		

ङ) लाभ एवं हानि के ब्यौरे में मान्य व्यय

विवरण	उपदान		छुट्टी वेतन	
	2018–19	2017–18	**2018–19**	2017–18
वर्तमान सेवा लागत	1,84,73,163	1,91,34,707	18,03,47,345	1,43,63,791
पूर्व सेवा लागत	–	12,35,08,102	–	–
ब्याज़ लागत	3,76,23,434	4,10,56,687	1,70,11,648	2,13,45,464
सुनियोजित परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	3,80,48,085	4,40,19,497	–	–
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	–	–	–	–
निपटान लागत/(क्रेडिट)	–	–	–	–
अवधि में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	4,70,24,579	(8,50,49,324)	(15,34,79,093)	(1,31,50,549)
लाभ एवं हानि के ब्यौरे में मान्य व्यय	6,50,73,091	5,46,30,675	4,38,79,900	2,25,58,706

च) तुलन–पत्र में स्वीकृत देयताओं में उतार – चढ़ाव

विवरण	उपदान		छुट्टी वेतन	
	2018–19	2017–18	**2018–19**	2017–18
प्रारम्भिक निवल देयताएं	7,88,36,791	2,12,46,685	–	–
उपरोक्तानुसार व्यय	6,50,73,091	5,46,30,675	4,38,79,900	2,25,58,706
अंशदान	98,00,457	1,38,216	–	–
अन्तिम निवल देयता	13,41,09,425	7,57,39,144	4,38,79,900	2,25,58,706
वर्ष के अंत में अन्तिम निधि / प्रावधान	53,40,23,818	56,66,32,751	23,27,02,541	26,48,21,293

छ) अन्य विवरण

	जनशक्ति (सं0)	
	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
कर्मचारियों की संख्या	764	883
सामान्य सेवानिवृत्ति	60 वर्ष	
उपदान की राशि की सीमा	20,00,000/– रु0	
छुट्टी वेतन (अर्जित अवकाश) की सीमा	300 दिन। जब अर्जित अवकाश (नकद योग्य और गैर नकद योग्य) 300 से कम हो, जितनी छुट्टियाँ कम होगी 300 तक की सीमा पूरी करने के लिए उतनी आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश में से ली जाएगी, बशर्ते कि आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश में पर्याप्त दिन उपलब्ध हों। इस प्रकार की एच.पी.एस.एल मूल्य निर्धारण के लिए आधे वेतन पर ली जाती हैं।	

20) आवश्यकता के अनुसार गत वर्ष के आँकडों को पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया।

21) अतिरिक्त सूचनाएं

क) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और निदेशकों को किए गए भुगतान सहित कार्मिकों पर व्यय

विवरण	2018–19		2017–18	
	अ.प्र.नि.	निदेशक	अ.प्र.नि.	निदेशक
	(रुपये)		(रुपये)	
1. वेतन एवं भत्ते	.	**3913135**	.	3631065
2. भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान	.	**432978**	.	401186
3. अनुलाभः				
चिकित्सा	.	**20232**	.	20232
कैंटिन	.	**64800**	.	58080
4. प्रावधान/भुगतानः				
उपदान	.	**326683**	.	253157
अवकाश नकदीकरण	.	**678880**	.	504800
जोड़	.	**5436708**	.	4868520

टिप्पणीः भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम ब्यूरो के समय–समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18)/पीसी/64 दिनांक 20 नवम्बर, 1964 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों को स्टॉफ कार का उपयोग करने सहित विहित राशि का भुगतान करने पर निजी उपयोग के लिए प्रतिमाह 1000 मि.मी. तक की यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

क) **खपत की गई कच्ची सामग्री के संबंध में मात्रात्मक विवरण**

(क्षमता/मी.ट./कि.ली., रु0/लाख)

	वस्तु	2018–19 वर्तमान वर्ष		2017–18 गत वर्ष	
		मात्रा	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा	मूल्य (₹ लाख में)
क	**मुख्य कच्ची सामग्री**				
क)	डी.डी.टी. के लिए				
i)	एम.सी.बी.	1175.88	678.98	1576.13	1186.96
ii)	क्लोरल	659.36	833.20	849.75	780.86
iii)	ओलियम	1646.32	288.51	2296.03	249.51
iv)	अन्य	448.77	257.50	332.80	130.97
ख)	**अन्य तकनीकी उत्पादों के लिए**	1509.07	1074.12	1449.37	806.42
ख)	साल्वेंट एवं सर्फेक्टेंट	909.88	577.37	1039.64	613.05
ग)	मुख्य आयातित कच्ची सामग्री	392.17	2173.88	671.42	2895.12
घ)	कृषि उत्पादों के लिए तक्नीकी एवं अन्य सामग्री खपत	375.57	795.62	309.66	680.48
ङ)	अन्य	2560.11	2128.06	4919.80	2778.93
च)	बीज एवं उर्वरक		18076.60		12982.82
	जोड़	**9677.12**	**26883.84**	**13444.59**	**23105.12**

ग **कच्ची सामग्री, संघटक एवं अतिरिक्त की खपत का ब्रेक–अप तथा उनकी प्रतिशतता**

(रु0 लाख में)

मदें	आयातित		स्वदेशी		कुल
	रु0 लाख में	प्रतिशतता	रु0 लाख में	प्रतिशतता	रु0 लाख में
कच्ची सामग्री	2173.88	8.09	24709.96	91.91	26883.84
	(2895.12)	(12.53)	(20210.00)	(87.47)	(23105.12)
संघटक भंडारण और अतिरिक्त पुर्जे	0	0.00	492.39	100.00	492ण39
	(0.00)	(0.00)	(464.90)	(100.00)	(464.90)

घ **सीआईएफ के आधार पर परिकलित आयात का मूल्य**

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	2018–19	2017–18
1	कच्ची सामग्री एवं तैयार माल	2347.03	3217.29
2	संघटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं पूँजीगत सामग्री	0.00	0.00
	जोड़	2347.03	3217.29

ङ **विदेशी मुद्रा में खर्च**

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	2018–19	2017–18
1	यात्रा	**10.73**	9.28

च विदेशी मुद्रा में आय

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	2018–19	2017–18
1	निर्यात	1011.54	3172.04

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार गुप्ता रूस्तागी एण्ड
अग्रवाल सनदी लेखापाल एफ आर एन : 008084एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(एस. चट्टोपाध्याय)	(अंजन बनर्जी)	(एस.पी. मोहन्ती)	(एस. सी. गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित) एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
सदस्य संख्या : 29220	डीआईएन : 07761132	डीआईएन : 05336787	सदस्यता सं. 086839

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

सहायक कम्पनी का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार सहायक कम्पनी दि सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का ब्यौरा।

(रु0 हज़ार में)

क्र.सं.	मदें	31.3.2019 तक	31.3.2018 तक
1.	सहायक कम्पनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख	**31.3.2019**	31.3.2017
2.	उपरोक्त तिथि पर हिल द्वारा नियंत्रित किए गए सहायक कम्पनी के शेयर		
	(i) संख्या	**प्रत्येक 1000/–रु0 के 49ए666**	प्रत्येक 1000/–रु0 के 49ए666
	(ii) नियंत्रण की सीमा	**76%**	76%
3.	वित्तीय वर्ष में जहाँ तक एच.आई.एल का संबंध रहा, के लिए सहायक कम्पनी के लाभ की कुल निवल राशि		
	(i) वर्ष के लिए हिल के लेखे में रखी गयी राशि	**शून्य**	शून्य
	(ii) वर्ष के लिए हिल के लेखे में नहीं रखा गया हिसाब	**(-)11,34,92**	(-)11,34,92
4.	वर्ष के अन्त तक संचित जहाँ तक एच.आई.एल का सहायक कम्पनी से सबंध है लाभ (+)/हानि (–) की कुल निवल राशि		
	(i) वर्ष के लिए हिल के लेखे में रख गया हिसाब	**शून्य**	शून्य
	(ii) वर्ष के लिए हिल के लेखे में नहीं रखा गया हिसाब	**(-) 32,45,02**	(-)32,45,02

टिप्पणीः उपरोक्त सूचना वर्ष 2001–2002 के लिए (गत लेखा परीक्षित लेखा) सहायक कम्पनी के वार्षिक लेखे पर आधारित है। चूँकि सहायक कम्पनी अभी परिसमापक के अधीन है, इसलिए 2018–2019 का लेखा उपलब्ध नहीं है।

हिल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड)
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआइएन यू24211डीएल1954जीओआई002377

हि इ लि
समृद्धि हेतु सुरक्षा

H I L
PROTECT TO PROSPER

कृषि रसायन

हिलक्रॉन 36 एस एल
(मोनोक्रोटोफॉस)

हिलमाला 50 ई सी
(मैलाथियॉन)

हिलबान 50 ई सी
(क्लोरपाइरिफॉस)

हिलवॉस 76 ई सी
(क्लोरपाइरिफॉस)

हिलफेट 75 एस पी
(एसिफेट)

हिलस्टार 25 डब्ल्यू जी
(थियामेथोक्सेम 25% डब्ल्यू जी)

हिलफॉस प्लस
(प्रोफेनो + साइपर)

हिलब्लेज़ 25% एस सी
(बूप्रोफ्रेज़िन 25% एस सी)

हिलजेंट
(फिप्रोनिल जी आर)

हिलमिडा
(इमिडाक्लोप्रिड)

हिलसाइप्रिन 10 ई सी
(साइपरमेथ्रिन)

हिलसाइप्रिन 25 ई सी
(साइपरमेथ्रिन)

हिलप्रिड 20 एस पी
(एसीटेमिप्रिड)

हिलहन्टर
(क्लोपाइरिफॉस 50% +
साइपरमेथ्रिन 5% ई सी)

हिलकार्टेप
(कार्टेप 4 जी आर)

हिलजाफॉस
40 ई सी (ट्राईजोफॉस)

हिलफॉस 50 ई सी
(प्रोफेनोफॉस)

हिलकार्टेप 4 जी
(कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड)

हिलाम्बदा 5 ई सी
(लाम्बदा – साइहैलोथ्रिन)

हिलाम्बदा 2.5 ई सी
(लाम्बदा – साइहैलोथ्रिन)

खरपतवारनाशी

हिलप्रेटी 50 ई सी
(प्रेटिलाक्लोर)

हिलपेंडी 30 ई सी
(पेंडीमेथलीन)

हिलटाक्लोर
(बुटाक्लोर 50 ई सी)

त्रिनाशी 41 एस एल
(ग्लाईफोसेट)

फफूंदनाशी

हिलसल्फ 80 डब्ल्यू डी जी
(सल्फर 80% डब्ल्यूजी डी जी)

हिलथेन एम 45
(मैंकोजेब 75 डब्ल्यू पी)

हिलकॉपर 50 डब्ल्यू पी
(कॉपर ऑक्सीक्लोराइड)

हिलनेट 75 डब्ल्यू पी
(थाइफिनेट मिथाइल)

हिलजिम 50 डब्ल्यू पी
(कार्बनडेजिम)

हिलजोल पॉवर 5% एस सी
(हैक्साकोनाजोल)

हिलमिल
(मैंकोजेब 63% + मेटालेक्सिल 8%)

हिलपंच
(मैंकोजेब 63% + कार्बनडेजिम 12%)

हिलब्लास्ट 75 डब्ल्यू पी
(ट्राइसाईक्लोज़ोल)

जन स्वास्थ्य

डी.डी.टी.
मैलाथियॉन तकनीकी
मैलाथियॉन डब्ल्यू पी
एल.एल.आई.एन. (भावी)

बीज

धान
गेहूँ
चना
मसूर
मूंग
उड़द
अरहर
सोयाबीन
सरसों
मूंगफली
हाब्रिड मक्का
चारा फसलें – जई, बरसीम

सब्ज़ियों के बीज

फ्रेंच
बीनओ.पी. एवं हाइब्रिड ओकरा
धनिया
भिंडी
मूली
पालक

उर्वरक

यूरिया
एस.एस.पी.
डी.ए.पी.
एम.ओ.पी.
एन.पी.के. (19:19:19)
एन.पी.के. (13:0:45)
बेंटोनाइट सल्फर
कैल्शियम नाइट्रेट

टेक्निकल्स: मोनोक्रोटोफॉस, डाईकोफॉल, मैलाथियॉन, एसिफेट, मैंकोजेब, इमिडाक्लोप्रिड, बुप्रोफेज़िन, क्लोरपाइरिफॉस, पेंडीमेथलीन, ग्लाईफोसेट

कीटनाशक के सुरक्षित एवं विवकपूर्ण उपयोग पर प्रशिक्षण

हिल (इंडिया) लिमिटेड
स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर–6, द्वितीय तल, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 (भारत), दूरभाष: 011–24361019, 24362100

समृद्धि हेतु सुरक्षा

हिल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड)
(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन यू24211डीएल1954जीओआई002377

निगमित/पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप काम्पलैक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाष 011–24362100, 2436 1107, फैक्स 011–24362116
ईमेल: hilheadoffice@gmail.com वेबसाइट : www.hil.gov.in

संयंत्र

अलवॉय : **उद्योगमंडल, एल्लोर पो.ओ. एरनाकुलम जिला, केरल–683501**
दूरभाष: 0484–2545217 फैक्स : 0484–2545464 ई–मेल: hiludyogamandal@gmail.com

रसायनी : **रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र–410207 दूरभाष : 02192–250391 फैक्स: 02192–250392**
ई–मेल: hilrasuh@gmail.com

बठिंडा : **ए–4, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, मनसा पटियाला रोड, बठिंडा, पंजाब–151001**
दूरभाष : 0164–6533050 फैक्स: 0164–2430099
ई–मेल : hilbathinda@gmail.com, hilbtiuh@gmail.com

अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलैक्स

सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुडगाँव, हरियाणा–122016 दूरभाष: 0124–2341674
ई–मेल: rdgurugramhil@gmail.com

क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय

अहमदाबाद	hilahd@gmail.com	0792-7682520
बैंगलोर	hilrsobangalore@gmail.com	080-23464343
चण्डीगढ़	hilrsonorth@gmail.com	0172-2776263
कोयम्बटूर	hilrsocbe@gmail.com	0422-2425235
हैदराबाद	hilhydagro@gmail.com	0422-2334098
कोलकाता	hileast2015@gmail.com	0332-2367930
पुणे	hilpune@rediffmail.com	9001991243